राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 541वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 541वीं बैठक दिनांक 10/03/2023 को अपराह्न 12:00 बजे की वेबकास्ट द्वारा, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.के. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, छत्तीसगढ़, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार पत्रावली निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

एजेण्डा आइटम क्रमांक-1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 540वीं बैठक दिनांक 03/03/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 540वीं बैठक दिनांक 03/03/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आइटम क्रमांक-2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 446वीं, 446वीं एवं 447वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/01/2023, 12/01/2023 एवं 13/01/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स गोण्डवेन्सी लाईम स्टोन कंपनी (प्रो.- श्रीमती कमलेश तिवारी), ग्राम-गोण्डवेन्सी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (प्रतिष्ठान का नवीन क्रमांक 1830)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्तावित गण्डा – एमआईए /सीजी /एमआईए / 72119/2022, दिनांक 11/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 28/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गोण्डवेन्सी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364/2, 365/2, 367/2, 367/3, 368, 369, 370, 371, 372, एवं 373, कुल क्षेत्रफल-1.60 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता-40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 23/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 26/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 04/08/2022 के परिपत्र से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण दिनांक 08/08/2022 2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई** वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु सभी निर्धारित, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोरकोठी का दिनांक 13/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **खनन योजना –** खदान प्लान सिंह प्रोफेशनल खनि कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1386/खनि अनु–01/2021 दुर्ग, दिनांक 29/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1827/खनि/वि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 66.822 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1827/खनि/वि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल,

मंदिरों, मस्जिद, चर्च, एतिहासिक एवं जल आपूर्ति स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. संबंधी विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनिज/उ.प्र./2021 दुर्ग, दिनांक 01/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु कि की। तत्पश्चात् संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5645/खनि 02/उ.प्र.–अनु.निस्तार/पा.क्र.50/2017(2) नया रायपुर, दिनांक 26/10/2022 द्वारा एस.डी.आई. की मियाद वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.08.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.08.2020) के नियम 42 के उप–नियम (2) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनन(ए) स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **भू–खनिज** – खसरा क्रमांक 307/2 का भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष सभी खसरा आवेदक के नाम पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, दुर्ग उपमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/उप.अधि./2020/5021 दुर्ग, दिनांक 24/12/2020 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 मि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोपालपुरी 800 मीटर, स्कूल ग्राम–गोपालपुरी 800 मीटर एवं अस्पताल सेकुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 800 मीटर दूर है। नाला 2 कि.मी., तालाब 300 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,87,475 टन, माईनेबल रिजर्व 3,18,475 टन एवं मिनेरेबल रिजर्व 3,38,827 टन है। क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,870 वर्गमीटर है। अधिक कवर वाली पैकेजाईज विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। क्षेत्र क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल भराव 4,238 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। क्षेत्र क्षेत्र में अवशेष अवशिष्ट किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। क्षेत्र हेतु से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,120
द्वितीय	38,750
तृतीय	34,800
चतुर्थ	31,500
पंचम	31,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 1,000 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चौड़ी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चौड़ी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान के पेरा–4 (Reserve) अनुसार लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में अयस्क का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर बताया गया है। साथ ही अयस्क क्षेत्रफल को 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में सम्मिलित करते हुये रिजर्व की गणना की गई है, जबकि 7.5 मीटर सेफ्टी जोन को छोड़ते हुये रिजर्व की गणना किया जाना था। प्रस्तुत माईनिंग प्लान के पेरा–8 (Land used pattern) अनुसार अयस्क का क्षेत्रफल निरंक बताया गया है। इस परिवर्तन के संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर सेफ्टी जोन को छोड़ते हुये रिजर्व की गणना परियोजना प्रबंधक से संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान बनवाया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा वादिट याचिका सिविल अपील संख्या, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 180 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over 5 is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जाकर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. अपर संचालक कार्यालय (खनिज साधन), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1827/खनि, नि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के सीमा अवस्थित 34 खदानें, क्षेत्रफल 98.802 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोन्दपोन्डी) का रकबा 1.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोन्दपोन्डी) को मिलाकर कुल रकबा 98.802 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का खनिज निहित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की पाई गयी।

2. समिति द्वारा निम्न विषयों उपरान्त कार्यवाही के उद्देश्य 'सी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित परियोजना रिपोर्ट एवं ओर निर्देश (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोपोजल/एक्टीविटीज निम्नवर्णित इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉमन फॉर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 'ए(ए)' का परियोजना टीओआर (ओर चुनाई सहित) फॉर ओर पहुँचित प्रोपोजल्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for establishment of crusher.

vi. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

vii. Project proponent shall submit a revised approved mining plan incorporating crusher in the calculation without affecting the 7.5 meter safety zone.

viii. Project proponent shall submit the land ownership detail of khasra no 387/2.

ix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and

Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किया कि उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।**

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि खसरा क्रमांक 387/2 के भूमि नस्ती जानकारी (बी–1, बी–2) एवं सहमति पत्र (यदि आवश्यक हो) प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

पर्यावरण प्रकोष्ठ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मैसर्स सोनेच स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनोज चन्द्राकर), ग्राम–बलसमुद्र, तहसील व जिला–महासमुंद (सत्रिकरण का नस्ती क्रमांक 5828)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/एमआईएन/ 576943/2021, दिनांक 27/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित खदान (लीज सहित) प्रकरण है। प्रकरण ग्राम–बलसमुद्र, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 206, कुल क्षेत्रफल–6.36 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–2,325 टन (500 घनमीटर) प्रतिमाह है।

तदानुसार पर्यावरण प्रकोष्ठ को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

अनुशंसा हेतु कोई भी प्रतिपादित उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में अनुशंसा हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 11/03/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/06/2022 को अनुशंसा हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, सर्वसम्मति से **निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई** वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्वापेक्षित जानकारी / दस्तावेज सहित अनुशंसा दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को अनुशंसा हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, सर्वसम्मति से **निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई** वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्वापेक्षित जानकारी / दस्तावेज सहित अनुशंसा दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा अनुशंसा हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

अनुशंसा हेतु श्री गजेन्द्र पाण्डेयर, कंसल्टेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   1. पूर्व में मांगी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 200, कुल क्षेत्रफल– 0.38 हेक्टेयर, लगभग–820 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–बलरामपुर द्वारा दिनांक 18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रबंधक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रबंधक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 120 पेड़ वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1142/क/खनि/ग.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 14/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	167
2019	88
2020	553
01/01/2021 से 30/09/2021	110
01/10/2021 से 31/03/2022	12

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की कार्यालय शाखा की जानकारी खनिज विभाग के प्रमाणित कथनानुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरकाकुटा का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **खनन योजना** – खदान प्लान एवं किस खदान कलेक्टर प्लान किस इन्फ्रास्ट्रक्चर मेपिंगलेट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1223/क/खनि/ग.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 31/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/ग.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल खदानें, क्षेत्रफल 40.24 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1320/क/खनि/ग.आ./2021 महासमुंद, दिनांक 06/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मजार, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं क्षेत्र का विवरण** – भूमि एवं क्षेत्र की मालिक कुमार मण्डावार के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/08/2004 से 06/08/2014 तक थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 20 वर्षों की, दिनांक 07/08/2014 से 06/08/2034 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजस्व मण्डल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/ग.वि./4041 महासमुंद, दिनांक 22/11/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बसनपुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-बसनपुर 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.1 कि.मी. दूर है। महानदी 300 मीटर, नाला 710 मीटर, नहर 730 मीटर एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संचालन एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित स्कीम प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 66,500 टन (26,524 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 24,830 टन (9,932 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 18,622 टन (7,449 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 64,280 टन (25,712 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 22,550 टन (9,020 घनमीटर) शेष है। लीज की 1.5 मीटर मोटी सीम परती (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,620 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। वर्तमान में उपरी मिट्टी की अनुमानित मात्रा 738 घनमीटर शेष होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टीम कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,782.50	पंचम	2,381.25
द्वितीय	1,887.50	षष्ठम	2,136.25

तृतीय	2,235.75	अगस्त	2,448.75
चतुर्थ	2,246.25	मार्च	2,420
योग	2,325	योग	2,242.50

12. **जल आपूर्ति** – परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.51 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 180 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टानी में वानस्पतिक** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टानी का कुल क्षेत्रफल 1.820 घनमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 280 घनमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईंनी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टानी में वानस्पतिक किया जाना पर्यावरणीय पहेली की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परिचालन प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु पत्रक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त पत्रक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिचालन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, पोंड़ारी एवं पुईना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 05 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–पोंड़ारी के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं पोंड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.50 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोंड़ारी एवं पुईना क्षेत्र में 35 खदानें, क्षेत्रफल 17.93 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 800 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. रिपोर्ट के दौरान दोनों क्षेत्रों का कवर लीज एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परिचालन प्रस्तावक द्वारा कुल 35 पत्थर खदानों की एक खसरा मानते हुये माईनिंग ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिचालन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन से आने वाली अन्य खदानों के लिए केमसाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। जिसे के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा याचिका कार्यवाही विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग एप्लिकेशन नं. 138 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में कुछ बिन्दु से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किये जाने उपरांत कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (अनिल साहू), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 04 खदानें, क्षेत्रफल 40.24 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का रकबा 2.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 42.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का खनन निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनर लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरणीय प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार किये जाने उपरांत कार्यसूची में प्रकाशन 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2006 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) फॉर कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/05/2023 की संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यकारणी से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।**

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपखनी उपयोगी (Ancillary Minerals) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण जलाशय प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये कार्यवाही उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी जोन पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. **मेसर्स ऋतेश स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बालमुकुंद चन्द्राकर), ग्राम–बालमपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सम्मिलित का नवीन क्रमांक 10208)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रकरण नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 47946/2021, दिनांक 27/09/2021 द्वारा ली.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व में संचालित खदान (लीज खसरा) खदान है। खदान ग्राम–बालमपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल–0.34 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–497.5 टन (363 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा उपस्थित कार्यसूची के निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा पत्रादि, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **उपस्थित कार्यसूची के निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा पत्रादि, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **उपस्थित कार्यसूची के निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अनेक बनाकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में मूल पत्थर (खदान पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर, क्षमता-360 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "5A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत संचीन कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 50 मी. बफरजोन छोड़ा गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1153/क/खनि/भ.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 18/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	87
2018	333
2019	87
2020	345
01/01/2021 से 30/09/2021	312
01/10/2021 से 31/03/2022	270

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से लिए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित उत्खनन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बाबतपुर का दिनांक 14/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खनी पत्रा एवम् बिन खनी क्षेत्रफल पत्रा जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महाराजगंज के ज्ञापन क्रमांक 1036/क/खनि/न.अ./2018 महाराजगंज, दिनांक 14/06/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महाराजगंज के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.अ./2021 महाराजगंज, दिनांक 10/02/2022 अनुसार अनापत्ति खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.58 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महाराजगंज के ज्ञापन क्रमांक 1240/क/खनि/न.अ./2021 महाराजगंज, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की कालावधि तहसील के पास पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 02/08/1987 से 01/08/2007 तक थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 20 वर्ष की, दिनांक 02/08/2007 से 01/08/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अवगत किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई ऊपर खदान (प्रथम क्रमांक 211 एवं 244) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही अधिसूचित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनसंरक्षणाधिकारी, सामाजिक वनसंरक्षण महाराजगंज के ज्ञापन क्रमांक/न.वि./खनिज/6123 महाराजगंज, दिनांक 31/12/2018 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अधिसूचित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बाबतपुर 800 मीटर एवं मधुबन ग्राम–बाबतपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महाराजगंज 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.80 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.16 कि.मी. दूर है। महानदी 880 मीटर, नाला 280 मीटर, नहर 580 मीटर एवं तालाब 730 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अभिलेखित किया है।

11. **खनन संभावित एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित लाही प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 34,000 टन (21,800 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व 8,400 टन (3,780 घनमीटर) एवं रिमूवेबल रिजर्व 7,080 टन (2,827 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 30,410 टन (20,166 घनमीटर) एवं माइनेबल रिजर्व 8,871 टन (3,548 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,448.7 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र के ऊपरी मिट्टी का उत्खनन पूर्व में किया जा चुका है। बेंच की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 15 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन क्रशर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में धातु प्रसंस्करण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नवत है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	801.25	पंचम	910.5
द्वितीय	888	षष्ठम	833.75
तृतीय	800	सप्तम	837.5
चतुर्थ	803.75	अष्टम	848
योग	807.5	दशम	1,216.8

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 144 पौधा वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डाम-कसलपुर, पोंडारी एवं पुट्टेना, उत्तरीय व दक्षिण-पहाड़पुर क्षेत्र में 25 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर आवंटित है। डाम-पोंडारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में डाम-कसलपुर एवं पोंडारी क्षेत्र में 15 खदानें, क्षेत्रफल 40.93 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में डाम-पोंडारी एवं पुट्टेना क्षेत्र में 10 खदानें, क्षेत्रफल 17.50 हेक्टेयर आवंटित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. रिपोर्ट के दौरान दोनों क्षेत्रों का कवर ओवर एक-दूसरे में ओवर लैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 25 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए कम्बाइन ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए ऑनलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/08/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च माननीय सिविल अपील भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग रजिस्ट्रेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 10/08/2018 को पारित आदेश में कुछ बिन्दु से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where even 5 is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceeds 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जाकर पर्यावरणीय से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 234/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 04 खदानें, क्षेत्रफल 40.36 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बालमपुर) का रकबा 6.34 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बालमपुर) की निजतार कुल रकबा 46.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचालित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का लागत्तर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार किया जाकर पर्यावरणीय से खदान 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित नोटिफाई टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेक्ट/एक्टिविटीज विकासकर्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसोर्टियम अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का नोटिफाई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माइनिंग प्रोसेक्ट हेतु नियम अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panoramic and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.09.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण पर्यावरणीय प्रभाव** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति और रिकॉर्ड (टी.ओ.आर.) (लिंक कुनकाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रादेशिक क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, भुवनेश्वर, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अटल नगर से मंगवाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, रायपुर, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. **मेसर्स **********, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सम्बिधान का धारी क्रमांक 1834)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67848/2021, दिनांक 27/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूनी पत्थर (लीज एरिया) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल–0.5 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–2,542.5 टन (1,017 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 16/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तावक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/03/2022 के परिपत्र से परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **प्रस्तावक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।**

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपत्र से परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **प्रस्तावक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।**

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/01/2022 द्वारा अनुपालन हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोविन्द भगतानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में वर्तमान स्वरूप खदान खसरा क्रमांक 467, कुल क्षेत्रफल- 0.6 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लिए स्टोन पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भूमि संसाधन भवन नया रायपुर के पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 मीटर पृथक्करण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1282/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	85
2018	137
2019	195
2020	300

   समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से लिए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित उत्खनन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्तरायण के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव का दिनांक 01/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो 10 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी। अतः समिति का मत है कि उत्तरायण के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (बैठक कार्यवाही विवरण एवं निर्णय सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्तरायण योजना** – कच्ची प्लान एवं सिट कच्ची कलेक्टर प्लान सिट इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टरप्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सक्षम अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 888/क/सक्षि/न.प्र./2016 महासमुंद, दिनांक 28/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 09 खदानें, क्षेत्रफल 40.10 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1282/क/खनि/न.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं रेलवेलाइन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज की वैधमान खदान के पास पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 08/03/2014 से 08/03/2024 तक है। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 20 वर्ष की, दिनांक 08/03/2024 से 08/03/2044 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि की लीज्ड के पास पर है। उपयोग हेतु भूमि मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, वनमंडल बागबाहरा, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/न.वि./खनिज/4482 महासमुंद, दिनांक 31/12/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बगबाहरा 840 मीटर एवं स्कूल ग्राम–बगबाहरा 880 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। किसोनी–बड़गांव मार्ग 80 मीटर, महानदी 880 मीटर, नाला 310 मीटर, नहर 800 मीटर एवं तालाब 580 मीटर दूर है।

11. **पर्यावरणीय/वैधानिक संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित वैधानिक क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संभाव्य एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खनी योजना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 84,820 टन, माईनेबल रिजर्व 32,750 टन एवं रिकवरेबल 24,582 टन है। क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। अंदरूनी खनन मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में खनी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल भराव 5,184 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। मशीन कटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	–	षष्ठम	2,538.75
द्वितीय	–	सप्तम	2,543.5
तृतीय	2,212.5	अष्टम	2,546.25
चतुर्थ	2,310	नवम	2,550
पंचम	2,483.75	दशम	2,607.5

13. **जल आपूर्ति** – परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में पार्श्व और 7.5 मीटर की पट्टी में 252 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के पार्श्व और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 252 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनिज योजना में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परिचालन प्रस्तावक के विरुद्ध विधानुसार विधिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्तें क्रमांक VIII (i) में अनुसार:–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. अनुशीलन के दौरान परिचालन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बलबतपुर, पोखरी एवं मुहेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 66 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 56.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–पोखरी के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग

मुताबिक है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बलसमुद्र एवं चोंढारी क्षेत्र में 16 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–चोंढारी एवं मुर्रेना क्षेत्र में 28 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर आवंटित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 800 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. रिपोर्ट के दौरान दोनों क्षेत्रों का कवर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 44 खदान खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए कंसोलिडेट ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

16. अनुशीलन के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली 44 खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उसका के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा कार्यवाही पत्रांक सिद्धु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रिंसिपल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 12/08/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 16/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 40.1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बलसमुद्र) का रकबा 0.5 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बलसमुद्र) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी2 श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनर मीनरल क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुल भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण वातावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये सम्बंधित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, पुराना भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पूर्व पर्यावरण की समिति

पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यवाही से पश्चात 'सीर' कोयलरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स और रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the latest NOC of Gram Panchayat for mining.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 13 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संयुक्त 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किया कि उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपनियमानुसार टर्म्स एंड कंडीशंस (टी.ओ.आर.) (लेख सूचकांक सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(i) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी पहाड़ी (Remedial Mountain) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक पौधरी तथा वृक्षारोपण आदि के लिये माननीय पर्यावरण बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख लिया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरण प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये

जाने हेतु मंत्रालय, मंत्रालयालय, समिति तथा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाए।

(ब) माईन सीज क्षेत्र से पानी और 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

(ग) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का सतत प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही सचिव, मंत्रालयालय, समिति तथा अधिकारी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

8. मेसर्स फ्लेम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बालमुकुंद चन्द्राकर), ग्राम–बालसमुंद, तहसील व जिला–महासमुंद (खनिजालय का नवीन क्रमांक 182)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 47860/2021, दिनांक 27/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (लोम खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालसमुंद, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 177, कुल क्षेत्रफल–0.8 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–1,275 टन (250 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उपयुक्त परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 16/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 16/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरणविदों से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तत्पश्चात एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/03/2022 के परिपत्र से परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई** सहित जानकारी एवं समस्त पूर्वापर जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 427वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 में परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई** सहित जानकारी एवं समस्त पूर्वापर जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनंत चन्द्राकर, अधिवक्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में जारी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 177, कुल क्षेत्रफल- 0.8 हेक्टेयर, क्षमता-630 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला-महासमुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित कार्यसूचना 180 दिन प्रकाशित किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1152/क/खनि/म.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 16/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	178
2018	414
2019	387
2020	238
01/01/2021 से 30/06/2021	267
01/10/2021 से 31/03/2022	100

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बाकमपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान एवं विस्तृत खदान प्लान तथा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1770/क/खनि./म.प्र./2018 महासमुंद, दिनांक 02/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के दायरे अवस्थित 08 खदानें, क्षेत्रफल 38.8 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1341/क/खनि/म.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 23/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की कालावधि कलेक्टर के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/02/2011 से 24/02/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 25/02/2016 से 24/02/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजस्व वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./खनिज/4121 महासमुंद, दिनांक 12/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बाबरपुर 1.5 कि.मी. एवं नवीन ग्राम–बाबरपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल महाराजपुर 12.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। महानदी 170 मीटर, नाला 800 मीटर, नहर 870 मीटर एवं तालाब 1.3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संभाव्य एवं खनन का विवरण** – प्रस्तावित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,37,520 टन (55,008 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 36,520 टन (14,548 घनमीटर) एवं रिमाइनेबल रिजर्व 27,400 टन (10,960 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,33,580 टन (53,434 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 32,880 टन (13,074 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,741 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल भाग 4,520 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। ब्लास्टिंग कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	945	षष्ठम	1,820
द्वितीय	1,230	सप्तम	1,790
तृतीय	1,450	अष्टम	2,050
चतुर्थ	1,560	नवम	2,070
पंचम	1,575	दशम	2,017.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.88 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं कंटेनर के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल वाटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 272 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,741 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय संवेदनशीलता की दृष्टि का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सीमा क्षेत्र सहित प्रोजेक्ट हेतु मानक परिकल्पित शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7 km wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े ग्रीनबेल्ट जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बलवाड़ा, पोंडाली एवं भुईना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 25 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–पोंडाली के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बलवाड़ा एवं पोंडाली क्षेत्र में 13 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोंडाली एवं भुईना क्षेत्र में 12 खदानें, क्षेत्रफल 17.63 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 800 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. रिपोर्ट के दौरान दोनों क्षेत्रों का अलग जोन एक–दूसरे में अंकित तैय हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 25 खदान खदानों को एक कलस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमति किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए ऑनलाईन आवेदन का अंतिम दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सम्पदा चामंदेव विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में पृष्ठ 100 से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 06 खदानें, क्षेत्रफल 36.8 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बलवाड़ा) का रकबा 5.5 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बलवाड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 42.3 हेक्टेयर

है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संवेदनशील/संरक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का समतल निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुल भाग में किये गये आवंटन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये संशोधित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदिरागांधी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिवेदित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहे जाने पर भौमिकीय प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिककार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यवाही से प्रकरण 'बी1' कॅटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित अधिसूचना तथा ओम नियमित (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज विथआउट इनवायरमेंट क्लियरेंस अगेन्स्ट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/02/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Maharadi River."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(i) (a) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपरवारी उपखनि (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(b) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी लीज पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरण प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(c) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(ii) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के भेजवाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रबंधक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स ग्रेनाईट स्टोन (ब्लेक स्टोन) कंपनी (प्रो.– श्री अजित कुमार चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1832)

ऑनलाईन आवेदन – उपरोक्त नस्ती – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81861/2022, दिनांक 27/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित सूक्ष्म खदान (लीज माफिक) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक

358, कुल क्षेत्रफल-2.7 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता-1887.5 टन (ब्रास पत्थरीटा) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/02/2022 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

अनुशंसित हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में अनुशंसित हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/03/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को अनुशंसित हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई सहित जानकारी एवं समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज सहित अनुशंसित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।**

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को अनुशंसित हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई सहित जानकारी एवं समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज सहित अनुशंसित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।**

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

अनुशंसित हेतु की गयी पत्र पत्राचार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखी गई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   1. पूर्व में कुल पत्थर खदान खसरा क्रमांक 358, कुल क्षेत्रफल – 2.7 हेक्टेयर, क्षमता – 2215 पत्थरीटा प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला कलेक्टर

पर्यावरण मंत्रालय निर्देशन प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control. However, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत संयोग कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई 180 मत पूर्वानुमान किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1244/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 27/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार निगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017	813
2018	754
2019	369
2020	401
01/01/2021 से 30/09/2021	222
01/10/2021 से 31/03/2022	204

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की मात्रात्मक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरमकेला का दिनांक 28/02/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान पट्टा एवं खदान विस्तार पट्टा के एन्हान्समेंट मेकेनिज्म पट्टा प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 22/10/खनि/म.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 13/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – जिलाधिकारी (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 08 खदानें, क्षेत्रफल 34.0 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – जिलाधिकारी कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1320/क/खनि/म.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 08/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, घाट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं पर्यटक आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की अवधि कुमार चन्द्राकर के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 08/08/1997 से 07/08/2007 तक थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 20 वर्ष की, दिनांक 08/08/2007 से 07/08/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र में लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 358) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/म.नि./खनिज/3284 महासमुंद, दिनांक 26/12/2008 में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बाकलपुर 1.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बाकलपुर 1.30 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 12 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.3 कि.मी. दूर है। महानदी 880 मीटर, नाला 50 मीटर, नहर 400 मीटर एवं तालाब 800 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 81,200 टन (30,480 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 38,715 टन (15,486 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 28,036 टन (11,214 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 88,437 टन (35,374 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 35,362 टन (14,380 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,749 वर्गमीटर है। क्रेशर खदान विस्फोटक विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित

अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपशिष्ट की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल भार 4.814 मिलियन टन है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। स्टोन क्रशर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,357.50	चतुर्थ	1,770
द्वितीय	1,413.75	पंचम	1,882.5
तृतीय	1,567.50	छठवां	1,991.25
चतुर्थ	1,642.50	सप्तम	2,092.5
पंचम	1,687.50	शेष	2,163.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.88 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 270 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,748 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गौण खनिज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, पोंड़ारी एवं पुहेना, तहसील व जिला–चंदाबुर क्षेत्र में 65 खसरा खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–पोंड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं पोंड़ारी क्षेत्र में 70 खसरे, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोंड़ारी एवं पुहेना क्षेत्र में 25 खसरे, क्षेत्रफल 17.63 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। यूकि ई.आई.ए. रिपोर्ट के दौरान दोनों क्षेत्रों का संयुक्त जोन एक–दूसरे में ओवरलैप लेन से रहा है।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 25 हजार खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये कार्यालय ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमति किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रोपराईटर की लंबित मूमत चन्द्राकर का आकस्मिक निधन कुछ दिनों पूर्व हो गया है। पूर्व से ही खदान से संबंधित सामयिक एवं आकस्मिक खर्चों को करने हेतु श्री लंबित मूमत चन्द्राकर द्वारा श्री नरेशचंद्र चन्द्राकर को अधिकृत किया गया था। इस बाबत् नोटरी से सत्यापित अन्य पुष्टिकारक पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में श्री लंबित मूमत चन्द्राकर के निधन उपरांत उनके उत्तराधिकारी के नाम पर खदान के लीज का हस्तांतरण किया जाना है। अतः पत्रिक कार्यालय के द्वारा लीज हस्तांतरण कराकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमति किया गया। जिससे समिति सहमत हुई।

21. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा मार्बल पार्लर विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/04/2018 को पारित आदेश में कुछ तथ्य से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where area is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जाकर पर्यावरण सहमति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 234/क/खनि/गा.ज./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 26.8 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का रकबा 0.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम-बरबसपुर) के निकटवर्ती कुल रकबा 26.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।

2. माइनर लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुल भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपयोगी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में उक्त लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वनीकरण आदि के लिये संशोधित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, पीसीबी तथा पीसीसीएफ, इंदिरागांधी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रस्तावित 7.5 मीटर चौड़ी सीधा पट्टी में अधिक उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मंत्रालय, मंत्रालयालय, पीसीबी तथा प्राधिकारी को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भारत सरकार को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत पर्यावरणीय से प्रकरण 'बी2' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ईएमपी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में संलग्न कंडिका 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लिंक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the copy of lease transfer from mining department.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stocked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall submit an affidavit that no green trees will be cut without the permission of competent authority.

xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines

located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उक्त अग्रिम पर्यावरण (ई.सी.आर.) (क्रोम मुलतानी खनिज) लिमिट अतिरिक्त मार्ग में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(ग) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(घ) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परिवेशीय प्रदायक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(ङ) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(ञ) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिवेशीय प्रदायक को उपर्युक्त अंकित रिकमेन्ड (टी.ओ.आर.) (लेख सूचनाओं सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. **मैसर्स माईन स्टोन (प्रेशर स्टोन) कंपनी (प्रो.– श्री दिलीप कुमार अग्रवाल), ग्राम–धोंधासी, तहसील व जिला–महासमुंद (अधिकतम का पत्थरी क्रमांक 1823)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसएईए /सीजी /एमआईएन / 83653/2021, दिनांक 28/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धोंधासी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा अंकित 10, कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर में है। खदान की खनिज उत्खनन क्षमता–2,210 टन (864 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवेशीय प्रदायक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 09/02/2022 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

अनुशंसित हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवेशीय प्रदायक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की उक्त बैठक में अनुशंसित हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः

अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को नोट किया गया।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही के निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रकरण दिनांक 11/03/2022 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा गठित, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिक्रम कर, **तत्समय कार्यवाही के निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई** वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(च) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 08/11/2022:

समिति द्वारा गठित, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिक्रम कर, **तत्समय कार्यवाही के निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई** वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(छ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की द्वितीय सुनवाई अवसर, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा गठित, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिक्रम करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में कुल 10000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता, कुल क्षेत्रफल – 1.04 हेक्टेयर, क्षमता – 288 एम्पीयर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला-महासमुन्द द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,

however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की दिनांक जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2022 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसीएफ कॉर्पोरेट कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 240 मा० वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017	375
2018	534
2019	808
2020	815

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पोंदारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान एवं विस्तृत खदान प्लान तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1824/ख/खनि/म.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 12/06/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 18/02/2022 अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के परिधि अन्तर्गत 03 खदानें, क्षेत्रफल 38.86 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1285/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं जीव का विवरण** – यह सामतीय भूमि है। जीव की विस्तृत सूचना आवेदन के भाग पर है। जीव जीव 10 वर्षों अवधि दिनांक 22/07/1987 से

21/07/2007 तक की। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 22/07/2007 से 21/07/2027 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र के लगी हुई अन्य खदान (पार्ट लीज खसरा क्रमांक 10) की वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को भी अतिरिक्त प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय उपवनसंरक्षक, सागर वनमण्डल महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/पा.वि./खनिज/3877 महासमुंद, दिनांक 04/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-पोंडारी 860 मीटर एवं स्कूल ग्राम-पोंडारी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.26 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.5 कि.मी. दूर है। महानदी 250 मीटर, नाला 1.4 कि.मी., नहर 840 मीटर एवं तालाब 1.56 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पर्यावरण जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 17,809 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 10,122 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 7,278 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 16,717 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 8,010 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,082 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल भराव 1,058.5 घनमीटर है। बेंच की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन क्रशर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	825	पंचम	1,156.5
द्वितीय	880	षष्ठम	1,135.5
तृतीय	1,025	सप्तम	1,280
चतुर्थ	1168.5	अष्टम	1,213.5
पंचम	828.5	नवम	843

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.58 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 288 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में अवलम्ब** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1.252 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से कुल भाग अवलम्बित था। उक्त अवलम्बित भाग का परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनर्वास कर वृक्षारोपण कार्य किया गया है। साथ ही फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवलम्ब किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र चारों ओर ग्रीनबेल्ट हेतु पालन पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.13 के अनुसार:–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त पालन शर्त के अनुसार चारों लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बलवाहुर, पोहारी एवं पुहेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 55 खदान खदानें, कुल क्षेत्रफल 55.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–पोहारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बलवाहुर एवं पोहारी क्षेत्र में 10 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोहारी एवं पुहेना क्षेत्र में 28 खदानें, क्षेत्रफल 17.63 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. रपटों के दौरान दोनों क्षेत्रों का संचयी प्रभाव अलग–अलग रूपों में अलग तौर से पाया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 55 खदान खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये समेकित ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए केन्द्रीकृत डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/08/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा मानीय याचिका सिविल भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(प्रतिनिधित्व एनिलिकेशन नं. 138 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 39.56 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पोंड़ाही) का रकबा 1.24 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पोंड़ाही) को मिलाकर कुल रकबा 40.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का खनन निर्मित होने के कारण यह खदान 'सी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनर मिनरल क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुल भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपयोगी उपयोगी (Remedial Measures) के संबंध में तथा मिनरल क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा प्लांटेशन आदि के लिये वर्तमान उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदिरागांधी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परिवेशीय उल्लंघन के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण की क्षति बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'सी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित नोटिफाई टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन ऑफ माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the copy of lease transfer.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the demarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year

incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/03/2023 की संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(i) (a) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपखनी उपखनी (Associated Minerals) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(b) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परिवेशीय प्रदायक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(c) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(ii) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगवाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, परियोजना तथा पदनिर्देशन, इंडस्ट्री पार्क, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

8. मैसर्स नंगल नवांज एग्रो मोटेल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बिलहा एवं मोहभट्ठा, तहसील-बिलहा, जिला-बिलासपुर (लघिकालय का नवीन आवंटन 5423)

ऑनलाईन आवेदन- पूर्व में प्रोपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 82824/ 2021, दिनांक 10/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। पश्चात में प्रोपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72128/ 2010, दिनांक 28/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-बिलहा एवं मोहभट्ठा, तहसील-बिलहा, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 8.5 एकड़ में इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्निश क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रीटेल सेल क्षमता – 1,08,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रिमोडेल की कुल लागत 41 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2010 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) और ई.आई.ए./ईएमपी रिपोर्ट और प्रोसेसड/एक्टीविटीज रिलेवाईज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन अन्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कॉलमें 2(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटाएनालिसिस इन्फ्रास्ट्रक्चर (केस एण्ड नॉन-केसर्स) हेतु जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 25/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की विधि अध्यक्ष, डीएसआर एवं पर्यावरण सलाहकार मैसर्स ए.एस.पी.आई. इन्फ्रावर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 20/11/2012 द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्निश क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रीटेल सेल क्षमता – 1,08,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। ई.आई.ए. अधिसूचना (समय समयांतर), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19/11/2019 तक थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,08,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 12,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। शेष इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल की स्थापना का कार्य शेष है। वर्तमान में उद्योग की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रपत्र कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति में संशोधन दिनांक 19/08/2020 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी सिला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन सिला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विमानपत्तन एयरपोर्ट 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। बलौदाबाजार नदी 6 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **क्षेत्र एवं भूमि स्वरूप –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace	2,680	10.18
2.	Rolling Mill Area	4,565	17.36
3.	Finished Good Area	1,643	6.24
4.	Raw Material Area	1,860	7.06
5.	Parking Area	2,400	9.12
6.	Road Area	2,600	9.88
7.	Greenbelt	10,556.6	40.14
	Total	26,304.6	100

5. **बी–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)		Source	Mode
		Existing	After expansion		

For Induction Furnace					
1.	Sponge Iron	63,171.2	1,26,342.4	Local Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	19,117.8	38,235.2		
3.	Ferro Alloys	831.2	1,662.4		
For Rolling mill					
4.	Billets	-	1,23,000	In house Billets	Conveyor

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	72,000 TPA	72,000 TPA	1,44,000 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	-	1,05,000 TPA	1,05,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बैग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (लम्बाई 30 मीटर) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार हेतु 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बैग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (लम्बाई 30 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार उपरोक्त दोनों चिमनियों से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। हीट पार्टिल अवस्थित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार हेतु अपनाई जाएगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार उपरोक्त इण्डक्शन फर्नेस के अपशिष्ट एम.एस. बिलेट्स को हीट पार्टिल अवस्थित रोलिंग मिल के माध्यम से रोलड प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाएगा तथा शेष बिलेट्स को आस-पास की अन्य इकाईयों में विक्रय किया जाएगा। नि-हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लैग – 7,920 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार से उत्पादित स्लैग – 14,280 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 5,400 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 1 टन प्रतिवर्ष एवं शुष्क अपशिष्ट 200 लीटर ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लैग को सीमेंट/ ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार उपयोग की अपनाई जाएगी। शुष्क अपशिष्ट को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल स्रोत एवं स्कीम** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 41 एमसीएफटी प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 36 एमसीएफटी प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 एमसीएफटी प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 एमसीएफटी प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6 एमसीएफटी प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 88 एमसीएफटी प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 36 एमसीएफटी प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 12 एमसीएफटी प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 एमसीएफटी प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 एमसीएफटी प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 18/12/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। सेलिंग मिल से दूषित उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 एमसीएफटी प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 एमसीएफटी प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ग्रिट एवं ग्रीस ट्रेप, पी-सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, सराव चम्बर, क्लारिफायर ट्रेस, इंटरमीडिएट टैंक, ट्रेस वेस्ट क्लारिफायर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। निम्नानुसार–
  (अ) पुराने एवं स्थापित उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल एकत्रीकरण 18,272 एमसीएफ है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 गड्ढा रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था उपरांत परिसर के पूर्ण एकत्रीकरण को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि पूर्ण सघन वर्षा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

12. **पुनर्वास संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत) में 2,850 पेड़ पौधे

रोपित किया जाना प्रस्तावित है। कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग अवधि अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 12 मिनीमॉनिटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$, का सामान्य लेवल:-

Concentration level (µg/m³) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	17.1	36.2	60
PM_{10}	42.6	87.3	100
SO_2	10.2	18.4	80
NO_2	13.0	31.8	80

पीएम$_{10}$ के इन्क्रीमेंटल लोड की जानकारी:-

Impact				
Pollutants	Baseline Concentration (µg/m³)	Incremental (µg/m³)	Resultant (µg/m³)	CPCB Norms
PM_{10}	92.6	1.43	93.93	100

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार अलियाबाद, गाइट्टेरा, शामपर, आर्मीनेल एवं अन्य स्थानीय जलों का सामान्य लेवल पानीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	50.9	61.4	75
Night L_{eq}	42.6	53.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- पानी वाहनों / मोटरसाइकिल ईंधी वाहनों को सम्मिलित करते हुये टिकिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार वर्तमान में 420 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 7.33 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 427.33 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.143 होगी। सिवाय के उपरांत भी ई-मोबिलिटी / इलेक्ट्रिक के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड डिजाइन अत्यंत निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है। यह बताया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु अनुकूल प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से लगी हुई स्थल आवंटन इकाई है, जो कि आवेदित उद्योग के द्वारा ही स्थापित की गई एक पृथक इकाई है। स्थल आवंटन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डस्ट्रीयल फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की कार्यशैली समान होने के कारण दोनों इकाईयों को अलग कार्यशैली के दोनों तरफ कम से कम 10-10 मीटर में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वृक्षारोपण को ले-आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तावित कार्यालयीन उपयोग विनिर्माण की कुल लागत 41 करोड़ क्षेत्र बताया गया है, जिसका ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवेदक कार्यकारणी से निम्नानुसार निर्देश दिया गया कि:-

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के क्षेत्र कार्य प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) इसी मानसून में करते हुए पौधों में संवर्धन (Nurturing) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति में विनिर्माण की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (स्थान सहित) को ले-आउट में दर्शाते हुए ले-आउट प्लान सीन केस सहित डेस्टिनेशन फाईल के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. रि-हैबिटेशन फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. मिक्स स्क्रेप एवं मिक्चर ग्रेड को स्थल के इण्डस्ट्रीयल फर्नेस में पुनःप्रसंस्करण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के बारे में जानकारी (सारणीबद्ध में) प्रस्तुत किया जाए।

10. संयंत्र के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा संयंत्र आवास इकाई एवं प्रस्तावित इस्पातशाला फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कवित होने के कारण दोनों इकाईयों को कवित बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–12 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, पूरक हेतु कवित, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का परिव्यय व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।

11. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अद्यतीकरण कर पुनरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु एम्पुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एम्पुक्त एम.ई.एम.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 07/07/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि कार्यालय में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम 1,500 नग वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) इसी पावसुत्र में लगाये हुए पौधों में क्रमांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. संलग्न स्थिति में विनिवेश की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

Particulars	SMS (Lakh)	Rolling Mill (Lakh)	Total (Lakh)
Land & Site Development	20	30	50
Building & Civil Works	400	500	900
Plant & Machinery	1,000	1,500	2,500
Electrical Installation	125	75	200

Preliminary & Pre-operative Expenses	50	50	100
Contingencies	125	75	200
Deposits	30	20	50
Pollution Control Equipment	40	10	50
Other Fixed Assets	20	30	50
Total Investment	**1,810**	**2,290**	**4,100**

5. परियोजना में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (विस्तार सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान सीवर बैलेंस सहित कंटेम्पलेट फाईल के साथ परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. रि–सीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् एवं मिक्स स्क्रीन एवं मिक्सर प्लांट को स्थान के इम्प्लसन फर्नेस में पुनःस्थापित किये जाने बाबत् तथा कुल क्षेत्रफल का 42.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. परियोजना इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (तारीखवार भी) प्रस्तुत किया गया है।

8. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 18 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्थित आवासीय इकाई एवं प्रस्तावित इम्प्लसन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों की कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ साथ में कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्याप्त साथ का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अद्यतनीकरण कर पुनःसंशोधित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपलब्ध कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 5, 8, 9 एवं 10 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना के जिन–जिन ऊपरी से प्रस्तावित ग्रास प्रोसेसिंग प्लांट, उन ऊपरी पर निर्माण जल निकासी की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ई.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 के परिपत्र से परिपालन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2022, 16/12/2022 एवं 21/12/2022 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/12/2022 द्वारा जल एवं वायु सम्बन्धी नोटीफिकेशन के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्बन्धी नोटीफिकेशन के सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार रायपुर नगर के ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक i, ii, iv, xxii, xxvi & xxvii का आंशिक पालन एवं शर्त क्रमांक viii, xviii, xviii, xix, xxx, xxxi, xxxii & xxxiv का अपूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में परिपालन प्रस्तावक द्वारा आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन शर्तों के परिपालन में किये जाने वाले कार्यों हेतु विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। उक्त के संबंध में परिपालन प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 21/12/2022 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

   i. प्रस्तावित कार्यक्षेत्र से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। जल का उपयोग धूलिन हेतु किया जाता है, जिसका पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण दूषित जल का निस्तारण रिन वाटर हार्वेस्टिंग पोंड में नहीं होता है। सदैव शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है।

   ii. प्रदूषितित जल के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये परिपालन रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

   iii. परिवेशवायु एवं अन्य आवश्यक (प्रकार एवं संख्यात्मक मानदण्ड) नियम, 2016 के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रमाणित जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 19/06/2024 तक है।

   iv. परिपालन प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय ध्वनि स्तर का मापन किया गया है, जो कि मानकों के अनुरूप है। उक्त का उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही पावर मेल्टर एवं डिजाल्वर मैनेजमेंट का उल्लेख भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है।

   v. सी.एस.आर. एवं सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में परिपालन प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लगभग 88,30,000 रुपये का सी.एस.आर. एवं शर्तों का निर्वहन किया गया है, आर्थिक-वर्ष पश्चात्वर्ती के समय सी.एस.आर. विशिष्ट फण्ड, सी.एस.आर. जेनरल फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फेज डेवलपमेंट आदि में 10,51,000 रुपये दिया एवं दूसरे में 1,11,111 रुपये दिया गया है।

   vi. परिपालन प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में 181 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 80 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय है। प्रस्तावित कार्यक्षेत्रान्तर

हेतु अतिरिक्त 110 कर्मचारी रखा जाना प्रस्तावित है, जिनमें अधिक से अधिक कर्मचारी स्थानीय रखा जाना प्रस्तावित है।

vii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सापेक्ष का प्रस्तावित अनुपालन शपथपत्र के रूप में किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न किया गया है।

viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रस्तावित में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (यदाना सहित) को ले-आउट में दर्शाये हुए ले-आउट प्लान सीन केस सहित सेटलमेन्ट फाईल के साथ पर्यावरण प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. सी-हीरोइन फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् एवं मिल स्केल एवं मिनटर प्लांट को स्थर के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःस्थापित किये जाने बाबत् तथा कुल संचालन का 40.14 प्रतिशत से हानि पहुँचाना के निराकरण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ से 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा पर्याप्त आवास इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा सीमेन्ट मिल इकाई की बाउण्ड्री वॉल होने के कारण दोनों इकाईयों को वॉल बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10-10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, पुराना हेतु सहित, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों के विवरण सहित विस्तृत प्रावधान अनुसार प्रथम वर्ष में 5 लाख, द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में 4 लाख प्रतिवर्ष तथा पंचम वर्ष में 3 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4100	2%	82	Under existing CER work total investment Rs. 79,82,111/-	
			Under proposed CER work following activities at nearby. 3 Government schools	
			Plantation with fencing	20.00
			New toilet construction work	
			Water harvesting system	
			Potable drinking water facility	
			Medical camps	2.00
			Total	22.00
			Grand Total	101.82

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य (1) सामाजिक प्रकृतिक वातावरण संरक्षण, (2) सामाजिक प्राकृतिक वातावरण उन्नयन एवं (3) सामाजिक प्राकृतिक वातावरण निर्माण में किया जाएगा।

7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित मद्दों के प्रपत्रों (Proposals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थानों से मृत्तिकित आवंटन उपलब्ध होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स भंगल स्टोन एण्ड मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बिलहा एवं गोहरापुल, तहसील-बिलहा, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 8.5 एकड़ में इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्नेस क्रशर – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्रशर – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.एस.आर. एवं सोसियल इकोनॉमी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लगभग 88,00,000 रुपये का की योजना उपचार/कार्यों का निर्धारण किया गया है, सोसियल-19 महामारी के समय सी.एस. सिविल फण्ड, पी.एम. केयर्स फण्ड, इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी आदि में 10,51,000 रुपये दिया एवं इसके में 1,11,111 रुपये दिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रावधान है। ऑडिट प्रावधान में वर्तमान में व्यय की गई राशि 10,82,111 रुपये को सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) मद के तहत खर्च किया जाना संभवतः प्रतीत हो रहा है। अतः इस संबंध में प्राधिकरण प्रस्तुत करते हुए सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) की जानकारी भंगल जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत पर्यावरण अनुमति दिये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स महामाया लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री विरेन्द्र अग्रवाल, पत्थरपुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम-पत्थरपुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1446)

प्रीफिजीबिलिटी आवेदन – पूर्व में आवेदन नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 378036/2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में आवेदन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 378036/2020,

दिनांक 02/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित पूल खदान (मैसर्स खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनपुरी, तहसील–तोपकी, जिला–बलरामपुर स्थित खसरा क्रमांक 343/4, 340/5, 343/11 एवं 343/14, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–38,250 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/02/2021 द्वारा प्रकरण कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2018 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स और रिफरेंस (टीओआर) पर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट को प्रोसेसिंग/एक्सीलिटेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लीयरेंस अथार्टी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में संशोधित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/05/2022 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु की जिसमें अध्यक्ष, प्रोफेसर एवं पर्यावरण मंत्रालय के रूप में मैसर्स एलिसिस इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश की ओर से कुछ अधिकारी पधारे एवं श्री कुलदीप चन्द्रवंशी उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुमार ई.आई.ए. रिपोर्ट मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया था। मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एण्ड एनालिसिस द्वारा अधिसूचना कानून के अनुसार प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने से अवगत कराया गया है। मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एण्ड एनालिसिस के पत्र दिनांक 07/22/2021 द्वारा कुमार ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु एकत्रित बेसलाईन डाटा पूर्ण रूप से सत्य होना एवं एकत्रित बेसलाईन डाटा की प्रामाणिकता होने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एण्ड एनालिसिस द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मानदण्डों (NABET Accredited) को परिपालन करने हेतु अनुपालन संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैसर्स एलिसिस इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश को आगामी कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण मैसर्स एलिसिस इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना बताया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. **खान मंत्रालय का अनुमोदित प्रबंधन पत्र** – उत्खनन के संबंध में खान मंत्रालय अनुमोदित का दिनांक 01/10/2018 का अनुमोदित प्रबंधन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना** – आगे चलकर इन्क्रीमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवम आगे कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (G.S.), भूवैज्ञानिक

समिति तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4131/खनि 02/ग.प्र.अनुमोदन/म.प्र.04/2018(1) नया रायपुर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1041/ख.नि./डीएम-6/2020 रायपुर, दिनांक 18/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 42 खदानें, केवलारी 85.350 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1042/ख.नि. /डीएम-6/2020 रायपुर, दिनांक 18/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध एवं रेलवेलाइन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एस.डी.आई. कंपनी विवरण** – भूमि की जिलेन्ट अवस्था के नाम पर है, जिसमें एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.नि./डीएम-6/ए.ए./2020/887 रायपुर, दिनांक 18/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु कैद की। उपसंचालक, संचालनालय भूविज्ञान तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4321/खनि 02/ए.ए.–अनु.निस्त./म.प्र.90/2017(2) नया रायपुर, दिनांक 28/10/2021 द्वारा एस.डी.आई. में स्थित वृद्धि शब्द पर जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अवधि दिनांक 17/08/2022) हेतु कैद है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ए.टी.आर./क./716 रायपुर, दिनांक 08/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बनसुती 750 मीटर, स्कूल केंपोसी 625 मीटर एवं अस्पताल तिल्दा 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी. एवं खदान नदी 21.8 कि.मी. दूर है।

11. **पर्यावरणीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभावांकन द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,88,240 टन माइनेबल रिजर्व 8,75,580 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,40,802 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7.324 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। खनिज निकालने

की चाप 4.288 घनमीटर एवं चौड़ाई 1.25 मीटर है, जिसकी सीमा चट्टानी ढ़ाल 7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूदा भूसंरक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 3.077 वर्गमीटर होगा। बेंच ड्रैस से ड्रिलिंग, बेंच ब्लास्टिंग का उपयोग एवं कंटूरिंग अभियान किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,801	पंचम	37,584
द्वितीय	14,589	षष्ठम	37,613
तृतीय	36,012	सप्तम	38,019
चतुर्थ	37,914	अष्टम	37,881
पंचम	37,781	नवम	37,855

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के शेषों को दर्शाया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.28 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **भूसंरक्षण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टानी में 1,524 पग भूसंरक्षण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के सीमा पर्याप्तमीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की लम्बाई 500 मीटर		2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000
खदान के कार्यालय एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (1,524 पग) भूसंरक्षण हेतु	भूसंरक्षण (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	83,850	7,800	7,800	7,800	7,800
	खोदाई हेतु राशि	1,21,980	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000
रैम्प एवं लीज क्षेत्र के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के कर्मियों हेतु सेनिटरी		2,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000
कुल राशि = 58,53,000		**13,37,000**	**8,39,000**	**8,38,000**	**8,38,000**	**8,38,000**

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीम पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीम पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – परिवेशीय कार्य दिनांक 15/10/2020 से 31/01/2021 के मध्य किया गया है। 10 डिस्पेंसरी के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. परिवेशीय परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$, का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m³) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	33.08	46.57	60
PM_{10}	68.38	87.5	100
SO_2	16.12	19.73	80
NO_2	19.03	31.54	80

iii. परिवेशीय स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में उल्लेखित रूपे टेबल अनुसार कलिफोर्नियम, फ्लोराईड, नाइट्रेट, सल्फर, कार्बोनेट, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल मानकीय मानक के कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	50.8	54.4	75
Night L_{eq}	38.7	40	70

जो प्रदत्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मालवाहक ट्रेलर वाहनों को सम्मिलित करते हुए ट्रैफिक आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 8.212 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं सी/डी अनुपात (V/C ratio) 0.564 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 30 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 8.268 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं सी/डी अनुपात (V/C ratio) 0.568 होगी। निकटतम के उपरांत भी डी-कंजेस्टिड / कंजेक्शन के परिवहन हेतु सड़क पार्श्व की ओर डीसिंग अथवा निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत नवाद, ग्राम-बनाडूनी, तहसील-सिमड़ा, जिला-बलौदा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई सकलनीय सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बस स्टेण्ड बालोद नगर, जिला-बलौदा के पत्र दिनांक 18/06/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान के आस–पास प्रतिबंधित हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है, जबकि समीप में घनी आबादी क्षेत्र है, जिसकी आवाज आस–पास के ग्राम तक जाती है। इसके कारण पूर्व में कंपोर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। खदान के नियमानुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए।

ii. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपचार किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। डस्टर के कारण प्रदूषण होता है। डस्टर से उत्सर्जित डस्ट को कम करने के लिए निर्धारित रूप से पानी का छिड़काव किया जावे।

iii. पर्यावरण संरक्षण हेतु केवल 10–20 पेड़ पौधों का ही रोपण कार्य किया जाकर औपचारिकता पूर्ण की जाती है। वृक्षारोपण कर उसके रख–रखाव पर ध्यान दिया जावे एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जावे।

iv. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। ग्राम के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जावे। परिसंचालन में श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण एवं बीमा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जावे।

उक्त सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुमति उपरांत निर्धारित कालखण्ड में विस्फोटक विधि से निर्धारित ब्लास्टिंग किया जाएगा एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ब्लास्टिंग का समय सामान्य रहेगा।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को सायलेंसर से ढंक कर ले जाया जायेगा।

iii. लीज क्षेत्र एवं पहुंच मार्गों में सुरक्षा घेरा सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी एवं उन्हें सुरक्षा उपकरण, बीमा आदि उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

19. **कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को सम्मिलित करते हुये कलक्टर में कुल 43 खदानें आती हैं। अतः कलक्टर में सम्मिलित खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, चहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 5.82 कि.मी.		14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000
चहुंच मार्ग के दोनों तरफ (2.914 मी)	पुनर्वनरोपण (50 प्रतिशत जीवन दर) एवं संरक्षित हेतु राशि	11,32,800	13,800	13,800	13,800	13,800
	खाद हेतु राशि	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700
पुनर्वनरोपण हेतु	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500
इन्फारमेशन बोर्ड/होर्डिंग हेतु (Half Yearly)		1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000
सड़कों / चहुंच मार्ग के संधारण हेतु		20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000
हैल्थ चेकअप कैम्प फॉर वियोजर्स		6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000
कुल राशि = 2,59,54,000		49,78,000	49,57,000	49,57,000	49,57,000	49,57,000

सीएफ इन्फारमेशनल कंपोजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहायतीय निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
पुनर्वनरोपण हेतु	44,000	16,000	16,000	16,000	16,000
इन्फारमेशन बोर्ड/होर्डिंग हेतु (Half Yearly)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
सड़कों / चहुंच मार्ग के संधारण हेतु	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000

ईंधन पेट्रोल डीजल वाहन विनियमन	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
कुल राशि = 6,11,000	1,43,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000

20. भारत सरकार, मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण अलवर हेतु क्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि अलवर में सम्मिलित सभी घटकों द्वारा अलवर के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु घटकों की लिखित एवं मौखिक सहमतियां सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि अलवर में आने वाले घटकों की उत्पादन गतिविधियों के पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु अलवर में आने वाली सेज समस्त घटकों को सम्मिलित करते हुये, अलवर हेतु क्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु मंत्रालय, मंत्रालयालय, नीतियों तथा नियमों, इंदिरा भवन, नया सचिवालय अलवर नगर, जिला – अलवर (राजस्थान) के स्तर से अनुकूल कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निवेश के वर्ष उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.55	2%	2.01	Following activities	
			Plantation with fencing around PANKHATTI TALAB in Village Dharauli & 5 year AMC	5.74
			Total	5.74

सी.ई.आर. के अंतर्गत राजस्व के पानी तथा आय के विभिन्न प्रवाहियों के दोहन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 22,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,50,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,24,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम धनौली के कामनी उपयोग चरागाह स्थान (खसरा क्रमांक 248, क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अवलोकन किया गया। अतः समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत व्यय राशि 5,74,000

अपने आर्थिक हितों के कारण ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

22. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दायर पत्रावेदन विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रिंसिपल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 15/06/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where even it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1541/खनि./सीमा-6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 42 खदानें, क्षेत्रफल 65.359 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धनपुरी) का क्षेत्रफल 2.013 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धनपुरी) को मिलाकर क्षेत्रफल 66.172 हेक्टेयर है। खदान की सीमा के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की पायी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय खतरों एवं पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदिरानी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से अनुकूल कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स महाकाली लाईम स्टोन (प्रो.- श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनपुरी लाईम स्टोन माईन्स, ग्राम-धनपुरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर) के खसरा क्रमांक 543/4, 543/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित कुल पत्थर (लैम स्टोन) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.013 हेक्टेयर, क्रमांक-38.018 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परिरक्षण हेतु सी.ई.आर. के तहत जमा राशि 5,74,000 रूपये को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/01/2022 की संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा चर्चा का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक – नेशनल हाइवेज लाईन स्टोन (प्रा.) की जिसेफ अडवाल, बनसुती लाईन स्टोन माईन्स, ग्राम-बनसुती, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 543/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित कुल रकबा (लीज क्षेत्रफल) रकबा, कुल क्षेत्रफल-2.813 हेक्टेयर, क्रमशः-38.018 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में निश्चित वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. सी.ई.ए.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार प्रस्तावित स्थान (क्रमांक विवरण संलग्न) की जानकारी/दस्तावेज का उल्लेख करते हुए सी.ई.ए.आर. की राशि (कुल राशि 8,74,000 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने की सूचना एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) को शासन के संबंधित वन के तालाब के नजदीक वानकीय सुधार व ईको पार्क निर्माण हेतु सी.ई.ए.आर. की राशि (कुल राशि 8,74,000 रूपये) को परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को सूचित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. माइनिंग प्लानिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराई जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. लीज खुदाई के दौरान उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. परियोजना से जिन-जिन स्थानों से प्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

7. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 80 प्रतिशत जीवन पर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 873, दिनांक 28/06/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

तत्पश्चात् में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/09/2022 के माध्यम से सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार प्रस्तावित

स्थान (क्षतिपूरक निवेश सहित) की आवश्यकता/उपलब्धता का उल्लेख करते हुये सी.ई.ए. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

(क) वनमंडल सारंगढ़ पत्र क्र. 822, दिनांक 20/08/2022 के बिंदु क्रमांक 2 में कुछ कॉम्पेंसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरिबिलिटि के माध्यम से 5,74,000 रूपये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है जो कुछ मान्य नहीं है। इस संदर्भ में दिनांक 10/08/2022 को मेरे एवं छत्तीसगढ़ पीस खनिज संघ के द्वारा आयुक्त, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छ.ग. के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों को रखा गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018 के अनुसार परिवेशीय प्रबंधक कॉम्पेंसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरिबिलिटि मद में परिवेशीय की लागत का अधिकतम 2 प्रतिशत राशि खर्च करने हेतु मान्य है।
2. उक्त ऑफिस मेमोरेंडम में कॉम्पेंसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरिबिलिटि मद की राशि को शासन के किसी भी खाते में जमा कराए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्ट निर्देश नहीं है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. 22-65/2017-IA.III दिनांक 30/09/2020 के अनुसार कॉम्पेंसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरिबिलिटि मद की राशि को पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया है।
4. मेरे प्रकरण में परिवेशीय की लागत 100.00 लाख है इसका 2 प्रतिशत 2.01 लाख बनते होता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान मेरी द्वारा समिति के समक्ष 2.01 लाख बनते की तुलना में 2.08 लाख बनते कॉम्पेंसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरिबिलिटि के तहत आवश्यक प्रावधान राशि उपयुक्ति में खर्च करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे अस्वीकार करते हुए समिति के द्वारा परिवेशीय लागत का 5.74 प्रतिशत राशि के रूप में 5,74,000 रूपये को 5 वर्षों में खर्च करते हुए राज्य उपयुक्ति में स्थित तालाब में पुनर्स्थापन एवं 5 वर्षों तक देखभाल किए जाने का निर्देश दिया गया एवं बाद में पुनर्स्थापन के लिए प्रस्ताव को भी अस्वीकार करते हुए 5,74,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश जारी कर दिया गया। यह निर्देश भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी नियमों के अनुसार नहीं है। नियम से अधिक अर्थात 5,74,000 रूपये 5 वर्षों में खर्च करना या एकमुश्त एकमुश्त के रूप में जमा कराना मेरी सामर्थ्य से बाहर है।

(ख) उक्त तथ्यों को सुनने के पश्चात् माननीय आयुक्त, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छ.ग. द्वारा निम्नलिखित मौखिक सहमति प्रदान की गई:-

1. कॉम्पेंसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरिबिलिटि के माध्यम से 5,74,000 रूपये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने हेतु जारी निर्देश को निरस्त कर दिया जाएगा।
2. कॉम्पेंसेट इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरिबिलिटि मद में नियमानुसार परिवेशीय की लागत का 2 प्रतिशत राशि के अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में प्रस्तावित राशि

2,00,000 रुपये के प्रस्ताव को संशोधन करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।

(ग) अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए एवं मेरे प्रकरण के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे न्याय देने की कृपा करें –

1. संलग्नित पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 873, दिनांक 29/08/2022 के बिन्दु क्रमांक 2 में जारी निर्देश को निरस्त करने की कृपा करें।
2. मैं सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) मद में नियमानुसार परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत राशि अनुसार अनुमोदन के दौरान मुझे से प्रस्तावित राशि 2,00,000 रुपये ही परियोजना संचालन के दौरान ही खर्च करने में सक्षम हो पाऊंगा। मेरे द्वारा अनुमोदन के दौरान प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वास्तविक प्रस्तावित खाता, ग्राम-पंचायतों हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न है। संलग्न प्रस्ताव को संशोधन करते हुये मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त अन्य 5 शर्तों के संबंध में निम्न शपथ पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:–

1. संयुक्त कलेक्टर का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा लगाये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थलों से न्यूनतिम डस्ट पार्टीकल्स होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर वृक्षारोपण किये जाने एवं उनके पौधों का 80 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2022 को संपन्न 120वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण स्वीकृति के उपरोक्त शर्तों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 122वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

समिति द्वारा नस्थी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, परियोजना प्रस्तावक से सी.ई.आर. हेतु निर्माणानुसार अधिक व्यय विस्तृत प्रतिवेदन भेजना जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरान्त चर्चोपरान्त ये निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निर्माणानुसार अधिक व्यय विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 12/12/2022 के परिपत्र से परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/12/2022 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्थी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि–

1. परियोजना प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15/06/2022 में किया गया आवेदन निरस्त तथा खारिज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तृत सी.ई.आर. प्रस्ताव में कमियों की पूर्ति करने से बेहतर सी.ई.आर. की राशि निर्धारित कर छत्तीसगढ़ राज्य का विकास निधि की जमा करने का लिखित मौखिक सहमति दी गई थी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी के जल्द प्राप्त करने की प्रत्याशा में उपलब्धता का बढ़-चढ़ कर प्रस्ताव दिया था। बड़ा-बड़ा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एवं पारित जानकारी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तथा यह माना जाता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध उनके ऊपर बाध्यकारी होगा। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में समिति के ऊपर दोषारोपण कर परियोजना प्रस्तावक अपने बचाव तथा यह में निर्णय करवाना चाहता है इस उद्देश्य से आवेदन में उल्लेख किये गये तथ्य भ्रामक के थे है। अतः समिति सर्वसम्मति से इस कथन का संज्ञान लेते हुये परियोजना प्रस्ताव के आवेदन का रोर निरा करती है तथा पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिये प्रावधित धनों एवं नियम के अधीन यह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती है जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से अधिक से अधिक बचाया जा सकें।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
100.05	2%	2.001	Following activities at nearby, Village-Dharasuli:	
			Plantation at Village Pond	2.50
			Total	2.50

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (ग्राम एवं जामुन) सुशोभीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 48 नग पौधों के लिए राशि 6,000 रुपये, मिट्टी के लिए राशि 16,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,400 रुपये, फेंसिंग तथा गड्ढा-खुदाई आदि के लिए

राशि 38,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 88,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,88,500 रूपये हेतु पटाकार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बनसूती के सहमति पत्रपर पटवारीय स्थान (खसरा क्रमांक 245) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. सी.ई.आर. एवं पुनर्वास कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-प्रक्षेप समिति (प्रोग्रामर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का प्रतिनिधि पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं पुनर्वास का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-प्रक्षेप समिति से सत्यापित कराया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही से निर्णय लिया गया कि आवेदक – मेसर्स महामाया स्टोन क्रेशर (प्रो– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, बनसूती स्टोन क्रेशर माईन्स), ग्राम–बनसूती, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर, क्षमता–38,078 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व बैठक में निर्धारित की गई शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की पश्चात 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही से** समिति की सभी अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स महामाया स्टोन क्रेशर (प्रो– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, बनसूती स्टोन क्रेशर माईन्स) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा 140वीं बैठक दिनांक 10/03/2023 में निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स एस.एम.एस. बायोमेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, सिलतरा इन्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील–धरसीवां, जिला–रायपुर (संयोजन की पत्रावली क्रमांक 2008)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्तावित नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएन/ 87429/2020, दिनांक 13/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रस्तावित नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 76289/ 2022, दिनांक 29/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंसॉलिडेटेड ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के साथ ग्राम–सिलतरा, सिलतरा इन्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील–धरसीवां, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 70/1, 70/2 एवं 70/3, कुल क्षेत्रफल – 0.823 हेक्टेयर में Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अन्तर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता –

500 कि.ग्रा. प्रतिमाह से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिमाह के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग लगभग 2.75 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के प्रावधान क्रमांक 2018 दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रकरण की-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2016 में प्रकाशित कॉमन्स वर्ल्ड बॉयो मेडिकल (रिजेक्शन) और ईमाईए/ईएमपी रिपोर्ट ऑफ प्रोसेसिंग/एक्टीविटीज रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉमन ईमाईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित ट्रीटमेंट सेफ्ट डिस्पोजल, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसिलिटी (टीएसडीएफ) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु पब्लिक कंपनी म(डि) का कॉमन रिजेक्शन (लिंक सुनवाई सहित) Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिमाह से 750 कि.ग्रा. प्रतिमाह, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिमाह से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिमाह एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिमाह से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिमाह हेतु रीजेक्शन जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्ताव को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रावधान दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु डी. किशोर चालसेन, डीएजेंट एवं पर्यावरण सलाहकार के पत्र से मेसर्स इन्डो इन्फ्राटेक एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, गुजरात की ओर से की गयी देखाई तथा डी. पवन नाईक उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** उक्त इकाई को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा Common Bio Medical Waste Treatment and Disposal facility of capacity 2 Tonne Per Day हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 28/01/2016 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण स्थित दिनांक 30/04/2024 तक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **वर्तमान स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - वर्तमान आबादी ग्राम–बलौदा 1.5 कि.मी. एवं रिहंदे मोहल्ला रायपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.04 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.24 कि.मी. दूर है।

- परिसीमन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र प्रतिबंधित किया है।

4. **भू-स्वामित्व** – भूमि केसर्स एस.एस.एल. जायसंकेत इन्फ्रास्ट्रक्चरेज (प्रा.लि.) के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

5. **एरिया बरेकडाउन** –

Description	Total Area (m²) after proposed expansion	Total Area (%)
Incineration Area	[illegible]	[illegible]
Treated Waste Storage Area	[illegible]	[illegible]
Sterilization Area	[illegible]	[illegible]
Shredder Area	[illegible]	[illegible]
ETP Area	[illegible]	[illegible]
Haz. Waste Storage Area	[illegible]	[illegible]
Vehicle Wash & Parking	[illegible]	[illegible]
Hazardous/Other Waste Storage Area	[illegible]	[illegible]
Parking Area	[illegible]	[illegible]
Office & control Room	[illegible]	[illegible]
Utility Area	[illegible]	[illegible]
Other Area	[illegible]	[illegible]
Green Belt Area	[illegible]	[illegible]
Road & Open Site Area	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	100

6. **ट्रीटमेंट कॅपेसिटी** –

- **Technical Specifications of Proposed Incinerator**

Incinerator	
Type of Incinerator	"ALFA TECHNIK" controlled air Oil Fired Incinerator Model BMW-250
Type of Waste	Biomedical Waste
Burning Capacity	250 kg/hr x 2 Nos. (Proposed additional)
Auxiliary Fuel	Diesel
Type of Burner Operation	Monoblock / Split type fully automatic burners
Temperature Primary Chamber Secondary Chamber	 800 ± 50°C 1000 ± 50°C
Primary Chamber	
Type	Static Solid Hearth
Material of Construction	Mild Steel, 12.5 mm thick
Refractory thickness	300 mm thick
Temperature resistance	1400°C
Insulation thickness	115 mm thick
Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
Waste Charging	Automatic through Hydraulic Ram Pusher
Ash Removal	Manual
Secondary Chamber	
Type	Static Furnace connected to primary furnace
Material of Construction	Mild Steel, 10 mm thick
Refractory thickness	115 mm Thick insulation brick and 115 mm x 2 layer of fire brick
Material	Refractory bricks confirming to IS-8
Temperature resistance	1200°C
Insulation thickness	115 mm
Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
Residence time for flue gases	2 seconds

- **Specifications Of Proposed Autoclave**

	Specifications
Model	Single Hinge Door, Automatic Standard model Vacuum Pump with Condenser, Pressure transmitter along with SS Carriage & Trolley
Capacity	450 L X 2 Nos. (Additional)
Size	900 x 500 x 1000 mm each
	Working Parameter
Chamber Working Pressure	3.08 Kg/Cm^2
Jacket Working Pressure	1.5 Kg/Cm^2
Chamber Working Temperature	121°C
	Hydro Test
Chamber	One & half time the working Pressure
Jacket	Twice the Working Pressure
Chamber and back plate	The Sterilizing Chamber is fabricated from S.S.304 Quality with full argon welding
Jacket	The jacket is fabricated from M.S Quality
Insulation	Resin Bonded Rock wool insulation of 50mm thickness
Sensor	PT 100 sensors are used for PLC and manual control
Manual Backup	The Control System is provided with a manual backup in case of PLC Failure. Here all Valves, Pumps, etc. can be operated with individual Switches

- **Specifications of Proposed Shredder**

	Specifications
Nos.	4 (Additional)
Capacity	250 Kg/hr
Blades	Combined Hook/Shear Blades
Safety Features	a. Auto Reverse System b. Interlocks to avoid aerosolizing c. Low Noise, Non Ballistic d. Auto Shut Off

7. प्रस्तावित एवं अथवा विस्तार उपरांत उत्पादन संबंधी विवरण:-

Facility Name	Existing Capacity	Proposed Expansion Capacity	Proposed Capacity After Expansion
Incinerator	1 x 250 Kg/Hr	2 x 250 Kg/Hr	3 x 250 Kg/Hr
Autoclave	1 x 175 Liter/Batch	2 x 450 Liter/Batch	1 x 175 + 2 x 450 Liter/Batch
Shredder	2 x 250 Kg/Hr	4 x 250 Kg/Hr	6 x 250 Kg/Hr
Chemical Disinfection Unit	1 x 500 Kg/Hr	1 x 2,000 Kg/Hr	1 x 500 + 1 x 2,000 Kg/Hr

8. प्रस्तावित एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था :-

Hazardous & Solid Waste Management					
CAT. NO.	Type of Hazardous And Other Waste	Source	Total Quantity Generated for Proposed expansion (Kg/Day)		Method of Disposal
			Existing	Proposed	
36.2	Ash	Incinerator	250	1,000	Send to CHWTSDF site/secured landfilling

34.3	ETP Sludge	ETP area	70	300	Sent to CHWTSDF site/secured landfilling
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	800	2,200	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	400	1,200	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	30	150	Sent to foundry for metal recovery / TSDF site
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries	-	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
Non-Hazardous Waste					
-	STP Sludge	From STP	As generated	As generated	Reused as manure in gardening

9. पीले कलरकोड प्रबंधन –

S.No.	Category	Types of Waste	Collection method
(i)	Yellow	Human Anatomical Waste Animal Anatomical Waste Soiled Waste Expired/ Discarded Medicines Chemical Waste Chemical Liquid Waste Discarded linen mattress, Bedding contaminated with blood or body fluid Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory waste	Yellow coloured non-chlorinated plastic bags
(ii)	Red	Contaminated waste (recyclable)	Red coloured non-chlorinated plastic bags
(iii)	White	Waste Sharps	Puncture proof, leak proof, tamper proof containers
(iv)	Blue	Glass wares, metallic body implants	Cardboard boxes with blue coloured marking

पीले श्रेणी के अपशिष्ट को इन्सिनरेटर में भेजा जाकर उपचार किया जाता है। उपचार उपरांत अवशिष्ट ऐश को टीएसडीएफ को प्रदान किया जाता है। लाल श्रेणी के अपशिष्ट को ऑटोक्लेव उपरांत शेडर में भेजा जाता है। शेडिंग से प्राप्त अपशिष्ट को अधिकृत रिसायकलर को प्रदान किया जाता है। नीले श्रेणी के अपशिष्ट को डिस्पोज से उपचार कर सेनिटेशन डिपार्टमेंटस्टाफ के डिसइन्फेक्शन किया जाता है। डिसइन्फेक्शन उपरांत प्राप्त दूषित जल को ईटीपी में भेजा जाता है। सफेद श्रेणी के अपशिष्ट को ऑटोक्लेव/मायक्रोवेव उपरांत शेडर में भेजा जाता है। शेडिंग से प्राप्त अपशिष्ट को अधिकृत रिसायकलर/मेटल रिकवरी इकाई/टीएसडीएफ को प्रदान किया जाता है। यदि आवश्यक समझा गया तो अन्य हेतु भी अपनायी जाएगी।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्थिति** – संचालन में परिचालन हेतु कुल 14.8 घनमीटर प्रतिदिन (पेयजल उपयोग हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 0.7

घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 12.8 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। अपना विस्तार उपयोग परियोजना हेतु कुल 30.8 घनमीटर प्रतिदिन पेयजल उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 6.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 48.1 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति म्यूनिसिपल इम्पाउंड सुपि सिस्टिम के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था अपना विस्तार हेतु भी अपनायी जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना से औद्योगिक दूषित जल कुल 6.1 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होता है। अपना विस्तार उपरांत उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 32.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु इंक्लुइसिव ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 20 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। अपना विस्तार उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 02 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु इंक्लुइसिव ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 35 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार उपरांत जल का उपयोग फ्लशिंग, अपर गार्डनिंग आदि में उपयोग किया जाएगा। इंक्लुइसिव ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, जर्मन मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक, पंप, बायर ड्राईंग बेड, पी.एस.एस. एवं ए.सी.एस. डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (अतिरिक्त इन्फ्लुएन्सलोड्स का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट पोटेशियम की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित है। इंक्लुइसिव ट्रीटमेंट प्लांट उपचारित दूषित जल को पुनः रिसाईकल कर उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रांगण परिसर में वर्षा जल का कुल एरियाज 4,888 घनमीटर है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रेक्टेंगुलर आर.सी.सी. टैंक (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वायर से परिसर के पूर्ण एरियाज को रिचार्ज किया जा सके। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का संग्रहण हो सके। अतः स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संतोषजनक प्रबंधन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्थापित एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

Facility Name	Pollution Control System		
	Fuel	Equipment	Stack height (in M)
Incinerator Existing (1 x 200 Kg/Hr)	Diesel/LDO	APC Consisting of Venturi & Packed Bed Scrubber	30
DG Set Existing (1 x 100 KVA)	Diesel/LDO (20 Lt/Hr)	Stack attached to DG set	3

Incinerator Proposed	Diesel/LDO	APC Consisting of Gas Quencher Venturi Scrubber, Packed Bed Scrubber along with stack	30
DG Set Proposed (2 x 100 KVA)	Diesel/LDO (30 L/Hr)	Stack attached to DG set	3

वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा गया है। प्रस्तावित परिवर्तन उपरांत पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, नाइट्रोजन ऑक्साईड्स का उत्सर्जन 400 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, एस.ओ.टू. 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। अतिरिक्त चिमनी की ऊंचाई प्रस्तावित है। नगरपालिका वार्ड उत्सर्जन नियंत्रण हेतु उक्त विकल्प किया जाना प्रस्तावित है।

12. **परिवहन व्यवस्था** – जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।

13. **विद्युत खपत एवं भवीष्य** – प्रस्ताव विस्तार उपरांत 250 किलोवॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वर्तमान में 100 केवीए का 1 नग डी.जी. सेट स्थापित है। प्रस्ताव विस्तार उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त 100 केवीए का 1 नग डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2,066 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इसमें अतिरिक्त सलीकाबद्ध खाली रोपित में 437 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। पौधों की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 250 नग पौधों के लिए राशि 2,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष के लिए कुल राशि 4,90,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों के लिए कुल राशि 11,10,000 रूपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :-

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 7 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$, का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	38	68	60
PM_{10}	58	108	100

SO2	3	17.1	80
NO2	16.3	24.3	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये रिकार्ड अनुसार मारिपाइपस, फ्लोराईड, नाइट्रेट, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सम्पदन लेवल मानकीय मापदण्ड से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	45.6	72.3	75
Night L_{eq}	35.7	65.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर के कम है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/11/2021 प्रातः 10:30 बजे स्थान –सी.एस.आई.डी.सी. की, ग्राम के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II सिलतरा, जिला–रायपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई स्थानीय समाचार सहित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. उपरोक्त प्रकरण द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले व्यय के संबंध में सम्पत्तिवद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जल सम्पदा के सूचिकानुसार सम्पत्तिवद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "शौच मल निर्माण" के तहत (ब्रांडिंग, बस पीपल, पौन, ग्राम, अर्बुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत सामाजिक स्थान (सामुदायिक विकास सहित) में सुदृढ़ीकरण हेतु पौधे, बेंचिस, छाया एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का प्रावधान एवं कार्यस्थल स्थल का विकास विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सलाह सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. कार्यस्थल में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. बिजली से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्थापित एवं प्रस्तावित विस्तार उपरांत प्रदूषण भार में कितनी वृद्धि होगी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
3. जैव अपशिष्ट (गीले कचरे, सड़े कचरे, गीले कचरे, सर्वाइव कचरे) की प्रतिदिन मात्रा एवं भंडारण क्षमता की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. वर्तमान में एवं प्रस्ताव निवास उपवास उद्देश्य के विभिन्न इकाईयों एवं डी.जी. सेट तथा सूत्र क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।

5. लोक सूचनाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की सारी जानकारी टाबलीकृत प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. जल की आपूर्ति प्रतीक्षारत प्रमाण भूमि टिप्पिटेड के माध्यम से लिए जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं वैधानिक प्रभाव की जांच करने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित परियोजना में किसने व्यक्ति कार्यरत के रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। स्थानीय आबादी को योग्यतानुसार रोजगार देने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐको-बीयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

11. स्थानीय एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया जाए।

12. स्थानीय एवं क्षेत्रीय निवासर उपयोग वाली वाहनों / यातायात हेतु वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

13. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रारूप "चरित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के वहनयोग्य उपयोग स्थान (वनरोपण विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, बीमिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पाटकवार एवं वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रारूप सहित प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/स्थान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का पोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.ओ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/08/2022 के परिपत्र में परिभाषित प्रारूप द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कोलिहन में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कोलिहन में स्थापित इकाई एवं अमरा सिस्टर उपक्रम प्रदूषण भार की गणना का जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार

   - कोलिहन में स्थापित इकाई के कुल प्रदूषण भार 41.38 किलोग्राम प्रतिदिन (पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन, एस.सी.एन. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन तथा $एन.ओ._{एक्स}$ का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 33.08 किलोग्राम प्रतिदिन) है।

   - अमरा सिस्टर उपक्रम कुल प्रदूषण भार 130.31 किलोग्राम प्रतिदिन (पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 8.22 किलोग्राम प्रतिदिन, एस.सी.एन. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 10.48 किलोग्राम प्रतिदिन तथा $एन.ओ._{एक्स}$ का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 83.84 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी।

   - यह उत्सर्जन डिस्टिलरी फीडस्टॉक इथेनॉल के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपक्रम प्रदूषण भार की मात्रा कोलिहन में स्थापित इकाई हेतु प्रदूषण भार की मात्रा के समान या उससे कम होने पर ही विचार किया जाना संभव है। अतः उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुये अमरा सिस्टर उपक्रम भार की पुनः गणना कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 31/10/2019 में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

   "Any project or activity specified in Category B1 will be appraised at the Central Level, if located in whole or in part within 5 km from the boundary of Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas. However, Category B2 projects shall be considered at state level stipulating Environmental Clearance conditions as applicable for the Category 'B1' projectactivities."

   - उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर संशोधन जारी करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/12/2019 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"In respect of the cases where partial deliberations or complete deliberations were made by SEAC or UTEAC, as the case may be (Class- II), the deliberation may be completed keeping in view of the additional conditions by the SEAC or UTEAC, as the case may be, and sent to the ministry for comments. If the comments were not received within 15 days from the communication, may be deemed as accepted and disposed based on the recommendations of the SEAC.

In respect of the cases where applications were received but not yet taken for SEAC/UTEAC (Class-III), may be transferred to Ministry for dealing at Central level as per the OM dated 31st October, 2019."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/01/2021 को अंकित मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"In view of the orders of the Hon'ble Supreme Court, the two Office Memoranda of even number dated 31st October 2019, and 30th December 2018 are hereby kept in abeyance."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2022 को "Lifting of abeyance on Ministry's OMs, in pursuance to the Order dated 25/02/2022 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeals Nos. 2218-2219 of 2020 in the matter of Chamber of Small Industry Associations Vs Central Pollution Control Board & Others with Civil Appeal Nos. 2220- 2221/2020, 2434/2020, 2462/2020, 3318-3321/2020 & 1656-4658 of 2022 regarding." हेतु अंकित मेमोरेण्डम जारी किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"The Member Secretaries of concerned EACs/SEACs shall ensure that the environmental safeguards prescribed in the above said OMs, shall be explicitly stated in the Environmental Clearance (EC) letters for the projects/activities located in CPAs and GPAs."

- उक्त उल्लेखित अंकित मेमोरेण्डमों के आधार पर आलोचित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मंगाया जाना आवश्यक है।

4. जैव अवशिष्ट की कुल मात्रा 8 मेट्रिक टन प्रतिदिन होगी, जिसमें से पीले श्रेणी के जैव अवशिष्ट मात्रा 3.5 मेट्रिक टन प्रतिदिन, लाल श्रेणी के जैव अवशिष्ट मात्रा 1.5 मेट्रिक टन प्रतिदिन एवं जैव अवशिष्ट मात्रा 3.0 मेट्रिक टन प्रतिदिन होगी। प्रत्येक श्रेणी के जैव अवशिष्ट के भंडारण हेतु 1124 कंटेनर रखा जाएगा।

5. पर्यावरण में एवं बाहर निकास उपकरण प्रदेश के विभिन्न इकाईयों एवं डी.जी. सेट का प्रस्तुत ले–आउट प्लान पर्याप्त नहीं है तथा कुल क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिर्फ 3 व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही उल्लेख है एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ

ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना के संचालन हेतु संबंधित राज्य संचालन नियमावली का दिनांक 16/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. जल की आपूर्ति प्रतीक्षारत इकाइयों पूर्ति डिमांड के पालन के लिए जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रपोजल 6 माह में खदान एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एनर्जी एवं रिसोर्सेज प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

10. वर्तमान परियोजना में 60 व्यक्ति एवं प्रस्तावित परियोजना में अतिरिक्त 70 व्यक्ति इस प्रकार कुल 130 व्यक्ति कार्यरत के कार में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु कराई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। स्थानीय कर्मियों को योग्यतानुसार रोजगार देने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बायोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

12. व्यक्ति एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. व्यक्ति एवं अन्यत्र विस्तार उपयोग वाली वाहनों / मशीनरीज की वाहनों को व्यवस्थित करते हुये ट्रैफिक आवागमन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पौधा कल निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, केला आदि) ग्राम पंचायत के सहयोग उपलब्ध व्यवहारिक स्थान (वनस्पति विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधे, पौधिन, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पारिश्रमिक एवं समस्त व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/09/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्पश्चात कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. वर्तमान में व्यक्ति इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सहमति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. लोकसुनवाई की मांग में कमी करते हुये अन्यत्र विस्तार उपयोग प्रस्तुत भाग की पुनः गणना कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तावित परियोजना में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. स्थापित एवं प्रस्तावित ने सीटर ट्रीटमेंट व्यवस्था का संशोधित प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रावधान "पौधे कल निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के खाली उपयोग स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधे, पौधिन, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकथा एवं समयबद्ध व्यय का विवरण विस्तृत प्रावधान सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओबिस मेमोरेण्डम के आधार पर अनुसूचित प्रावधान के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मंगाया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अगस्त दिनांक 08/12/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/12/2022 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओबिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार "Self-certified six monthly Compliance Report for the latest CTO shall be sufficient if the project proponent applies for expansion within a period of one year from the grant/renewal of CTO. If such application is submitted beyond the period of one year from the grant/renewal of CTO, CCR shall be required for the latest CTO." है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत स्वप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **प्रदूषण भार की गणना** – वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन, एच.सी.एल. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण

पार 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन तथा $एन.ओ._{2पी}$ का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 33.28 किलोग्राम प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 41.38 किलोग्राम प्रतिदिन) होता है। अन्य विस्तर उत्सर्जन दोनों सिलिंडरों के पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.64 किलोग्राम प्रतिदिन, एस.ओ.टू. का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.64 किलोग्राम प्रतिदिन तथा $एन.ओ._{2पी}$ का उत्सर्जन 200 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 31.02 किलोग्राम प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 40.30 किलोग्राम प्रतिदिन) होना प्रस्तावित है।

3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की सारी संक्षेप सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. गांव के विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करें। साथ ही एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें शासन या जनप्रतिनिधि के द्वारा गांव से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं से अवगत कराया जा सके।

   ii. पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से प्रस्तावित प्रतिनिधि/कंपनियों का कथन निम्नानुसार है:–

   i. गांव के प्रगति के लिए कार्य किया जाएगा एवं ग्रामवासियों को इससे अवगत भी कराया जाएगा।

   ii. सी.ई.आर. के माध्यम से आस-पास के गांवों में पर्यावरण विकास हेतु कार्य किया जाएगा।

   iii. सिविल कंपनियों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

4. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रस्तावित परियोजना में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्लांट में कार्य के दौरान श्रमिकों को पी.पी.ई. (हेलमेट, चश्मा, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज, मास्क आदि) उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमित हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा "we will carry out 6 monthly health check-up for workers of the plant and people of surrounding area of project site to check allergy or pathogenic effect." हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तावित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संक्षेपित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित परियोजना में कार्य के पानी का कुल स्थापित 4.2m³ घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत वाशरूम वॉटर

निवारण हेतु (प्रत्येक 16.5 मीटर एवं अधार 50 मीटर) निर्धारित किया गया है। उपरोक्त दिए बीटर इमीशन मानकों से परिसर के पूर्व मानचित्र को निवारण किया जा सकेगा। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी अपनाई जाएगी।

7. परियोजना प्रबंधक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
279	2%	5.50	Following activities al ready	
			Pavitra Van Nirman in **Village-Sitara**	4.50
			Solar LED Street Lights (50 W)	0.30
			Rain Water Harvesting System at Sitara Gram Panchayat Office	0.60
			Potable Drinking Water Facility at Sitara Vidhyalaya	0.10
			Total	5.50

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, करंज, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 125 नग पौधों के लिए राशि 1,08,500 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,12,400 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,32,900 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,20,040 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रबंधक द्वारा इस संबंधित विवरण के सहमति प्रस्तुत की गई है।

8. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रकरण क्रमांक 1836, दिनांक 09/12/2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर आयोजित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मांगने जाने बाबत् मत लिया गया है। उक्त के संबंध में आज दिनांक तक टिप्पणी (Comment) अप्राप्त है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/12/2019 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में "If the comments were not received within 15 days from the communication, may be deemed as accepted and disposed based on the recommendations of the SEAC." का उल्लेख है। उपरोक्तानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा निवर्तमान उपखंड कार्यवाही में मैसर्स एस.एम.एस. वाटरलेस इन्वीरोमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड,** ग्राम-सिलारा सिलारा इण्डस्ट्रियल एरिया के समीप, तहसील-बालोदा, जिला-बालाजी स्थित खसरा क्रमांक 70/1, 70/2 एवं 70/5, कुल क्षेत्रफल – 0.623 हेक्टेयर में Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) में क्षमता Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 300 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संख्या 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निवर्तमान उपखंड कार्यवाही से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक – मैसर्स एस.एम.एस. वाटरलेस इन्वीरोमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलारा सिलारा इण्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील-बालोदा, जिला-बालाजी को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मैसर्स कर्मन स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्द्रसेन चाहेकर), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (संचिकाकार का पत्रांक क्रमांक 1821)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 87880/2021, दिनांक 24/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूनी पत्थर (लोन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 238, कुल क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता-883.75 टन (388.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/02/2022 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इन्द्रसेन चाहेकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं मंथन करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   1. पूर्व में चूनी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 238, कुल क्षेत्रफल– 0.20 हेक्टेयर, क्षमता– 388.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन जिलाधिकारी प्राधिकरण, जिला-महासमुन्द द्वारा दिनांक 18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 18/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

a. पूर्व में खनि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के मदों के मद्देनजर में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

b. स्थितिक कार्यपूरक पुनर्वास नहीं किया गया है।

c. जनपदीय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के द्वारा दिनांक 25/08/2021 द्वारा निगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	180
01/07/2018 से 31/12/2018	135
01/01/2019 से 30/06/2019	185
01/07/2019 से 31/12/2019	140
01/01/2020 से 30/06/2020	निरंक
01/07/2020 से 31/12/2020	345

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़मारा का दिनांक 30/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्रवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **पर्यावरण स्वीकृति** – खदानें पहाड़ पहाड़ किए खदानें खनिज पट्टा किए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंस पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के द्वारा क्रमांक 1148/क/खनि/प.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 01/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – जनपदीय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के द्वारा क्रमांक 224/क/खनि/प.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 16/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 08 खदानें, क्षेत्रफल 43.38 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – जनपदीय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के द्वारा क्रमांक 1362/क/खनि/प.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 26/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मजार, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं जीव का विवरण** – यह सत्यापित भूमि है। खदान में जीव की इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूदा के नाम पर है। जीव क्षेत्र 12 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/05/2008 से 19/05/2018 तक लिए थी। तत्पश्चात् जीव क्षेत्र में 20 वर्षों की, दिनांक 20/05/2018 से 19/05/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है। अनुविभाग के दौरान परिवेशगत अवलोकन द्वारा बताया गया कि पूर्व में जीव सिर्फ मुरूम पाने के नाम पर थी। अतः जीव दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **जल निकाय का अवस्थिति प्रमाण पत्र** – कार्यालय जलसंसाधनाधिकारी, राजस्व मण्डल, जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/भू.नि./खनिज/240 महासमुन्द, दिनांक 28/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र जल सुरक्षित की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बसमतुरा 0.07 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बसमतुरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बिजोरी 2.8 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.85 कि.मी. दूर है। महानदी 240 मीटर, तालाब 210 मीटर एवं बसमती नाला 130 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में प्रोटेक्टेड सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खनी योजना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 22,525 टन (12,500 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 6,575 टन (3,875 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,250 टन (2,800 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 11,500 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 2,400 घनमीटर है। सीम की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,278.50 वर्गमीटर है। क्रीपन खनन मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। सीम क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022-23	385.50
2023-24	385.50
2024-25	385.50
2025-26	385.50
2026-27	385.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.14 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीम क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 258 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – सीम क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये विहित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीम क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर

की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-बलबतपुर, पोंडाली एवं भुईगांव, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 25 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 28.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-पोंडाली के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बलबतपुर एवं पोंडाली क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-पोंडाली एवं भुईगांव क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.63 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. रिपोर्ट के दौरान दोनों क्षेत्रों का कवर जोन एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 50 पत्थर खदानों को एक कलस्टर मानते हुए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमोदन किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए केसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/08/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा उपलब्ध कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सहित एवं सदस्य के हस्ताक्षर सहित) आवश्यक प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज डीडों की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. जल आवंटन हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज बाउण्ड्री पोल (boundary pillars) जिसमें पोल की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफ प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) के संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
7. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 11/03/2022 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(घ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:-

समिति द्वारा गठित, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सहित एवं सदस्य के हस्ताक्षर सहित) आवश्यक प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत नहीं

किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि "खान योजना की अनुमोदित विशेष योजना एवं विशेष उद्देश्य के लिए जारी किये जाने के पश्चात् किसी भी विचार की आवश्यकता हेतु पुनः आवेदन अनावश्यक की आवश्यक नहीं होती है।" साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान योजना के अनुमोदित प्रपत्र की मूल प्रति पुनः प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 743/क/खनि/उ.प्र. 80/2008 महासमुंद, दिनांक 05/04/2011 द्वारा लीज क्षेत्र की सिर्फ सूचना पत्रे से की इंडेंटेन मार्केटर के नाम पर इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में किये गये वृक्षारोपण का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) के फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। सभी स्तंभों के फोटोग्राफ एवं उनकी संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः समिति का मत है कि लीज बाउण्ड्री के सभी स्तंभों के फोटोग्राफ एवं उनकी संख्या प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) के संबंधित जानकारी हेतु शपथ पत्र दिनांक 20/04/2011 का प्रस्तुत किया गया है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग एप्लिकेशन नं. 164 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुद्दा क्रम से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over 5 is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/ख.प्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 06 खदानें, क्षेत्रफल 49.26 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरमकेला) का रकबा 0.25 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरमकेला) की निजतापूर्ण कुल रकबा 49.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का आकार निर्धारित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र प्रेषित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार किया गया कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित क्षेत्र/ क्षेत्रफल का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना, 2015 में प्रस्तावित सीएफई टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और कंसोल्ट/एसोसिएटेड विकासकर्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना अन्वार ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का सीएफई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) सीन ऑफ पर्यावरण कंसोल्ट हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the latest NOC of Gram Panchayat for mining.

v. Project proponent shall submit the photographs of all pillars with number all along the lease boundry.

vi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E)

dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2023 की संलग्न 54वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये शर्तों सहित रिकॉमेन्ड (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में भेजने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

पर्यावरण प्रभावक को शर्तों सहित रिकॉमेन्ड (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

12. मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती मंजू अग्रवाल), ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (अधिशासन का पत्रांक क्रमांक 1742)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईएन / 220668/2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित खदान पत्रक (लीज एरिया) खदान है। खदान ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1528, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमति उत्पादन क्षमता – 2,108 टन (240 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रपत्र एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा अनुपालन हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

अनुपालन हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में अनुपालन हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/08/2021 को अनुपालन दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा गत्ति/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **तत्समय सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित अनुपालन दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 18/01/2022 द्वारा अनुपालन हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

अनुपालन हेतु की गोपनीय अवधारा, अतिरिक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ति, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में पत्थर खदान पाटल क्रमांक 1528, कुल क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर, लम्बाई-1.047 मीटर (3,733.3 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विशेष शर्तों पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित मार्गानुसार फूलरोपण किया गया है।
   iv. सहायक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 67/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 19/05/2020 द्वारा निम्न वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017 तक	216

2018	378
2019	819

v. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 13/02/2017 से दिनांक 12/02/2020 (3 वर्ष) हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिनांक 31/12/2019 तक उपलब्ध है। अतः दिनांक 12/02/2020 तक किये गये उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत किया गया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रोहिणी का दिनांक 11/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यसूची विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड माईनिंग प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेपिंगसहित प्लान एवम माईनिंग कार्यसार प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 802/खनिज/खनि2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/08/2021 द्वारा अनुशंसित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 05/12/2020 के के मीटर अनुसार 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.888 हेक्टेयर क्षेत्र बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। एवम प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (समय संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय अस्तित्व जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच पूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु टोपोशीटविशिष्ट निकटतम क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को सम्मिलित करते हुए तथा इस प्रकार सम्मिलित खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को जहाँ तक सम्मिलित किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3046/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 30/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एरोड्रम एवम जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह सरकारी भूमि है। लीज मौजूदा पट्टा अवधारक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/02/2008 से 12/02/2018 तक की अवधि हेतु किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/02/2018 से 12/02/2038 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2012 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/ग.वि./61/2008 अम्बिकापुर, दिनांक 18/01/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवीपुर 0.88 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवीपुर 2.6 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 3.88 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.4 कि.मी. एवं रेलमार्ग 18.10 कि.मी. दूर है। तालाब 0.37 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पर्यावरणीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 88,588 टन, माइनेबल रिजर्व 21,837 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 18,473 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,110 वर्गमीटर है। क्षेत्र काफ़ी सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में जमी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल भराव 2,887 घनमीटर है, जिसमें से 1,615 घनमीटर उत्खनन किया जा चुका है, जिसे सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में पौधारोपण सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग किया गया है, तथा शेष जमी मिट्टी 1,182 घनमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर पहचानी प्राप्त भूमि पर भण्डारित कर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रस्तर अवस्थित नहीं है एवं प्रस्तर उत्खनन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। लोक हैल ड्रिलिंग एवं कंटूरिंग कार्यविधि किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,108	पंचम	1,905
द्वितीय	2,058	षष्ठम	1,988
तृतीय	2,060	सप्तम	1,828
चतुर्थ	1,811	अष्टम	2,051
पंचम	1,942	नवम	1,776

नोटः तालिका में दशमवर्ष के बाद के आंकड़े को शून्यप्रदर्शित किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.25 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 420 पौधे वृक्षारोपण किया जायेगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निम्नवत से वर्षवार प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Government Primary School, Village-Devipur	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.05
			Total	0.50

16. प्रस्तावित स्टाफ के प्रावधान (Manpower) का ब्यौरा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. के तहत् पुस्तकालय हेतु पीठों का निर्माण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पाँचवर्षीय व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा परीक्षण कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. विगत वर्षों में लिए गए उत्पादन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2025 तक) सहित विवरण से प्रस्तावित किया कर प्रस्तुत की जाए।
2. उत्पादन हेतु खान संचालन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (वैधता दिनांक, सहित एवं कलांक के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? (माई.एम.आर. नोटिफिकेशन, 2006 तथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय अस्तित्व जारी, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह सहित क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस निकटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को सम्मिलित करते हुए तथा इस प्रकार सम्मिलित खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को जहाँ तक सम्मिलित किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अस्तित्व न हो) सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् पुस्तकालय हेतु पीठों का निर्माण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पाँचवर्षीय व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.आई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 22/02/2022 एवं 20/04/2022 के परिपत्र में परिवेशीय प्रदाताक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ट) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 47/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 15/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017 तक	216
2018	379
2019	519

साथ ही परिवेशीय प्रदाताक द्वारा खनि निरीक्षक द्वारा जारी एसेसमेंट रिपोर्ट प्रोफार्मा-"V" की प्रति अनुसार दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020 तक की अवधि में कुल 258 घनमीटर उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग के प्रमाणित कथनानुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही दिनांक 12/02/2020 के उपरांत किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 11/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे दिनांक 23/06/2022 द्वारा नोटराईज्ड कथनानुसार सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2020 के मीटर आधिपत्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.880 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 04/04/2022 द्वारा प्रभारी खनि अधिकारी से सत्यापित कथनानुसार प्रति प्रस्तुत किया गया है।

4. परिवेशीय प्रदाताक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.00	2%	0.27	Following activities at Government Primary School, Kawarpara, Village-Devipur	

			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.54
			Total	0.69

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंगन, बड़ा पौधा, पौधा, ग्राम, आंवला, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 250 रुपये, खाद के लिए राशि 625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,875 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,500 रुपये हेतु पाक्कलन व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 843/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 10/06/2022 द्वारा "खसरा नंबर 1528/1 रकबा 3.427 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर क्षेत्र पर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, वनाधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वी-1 नक्शा खसरा पंजियाल अनुसार 1528/1 में से 0.405 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज विभाग सूरजपुर द्वारा स्वीकृत है। मौका अनुसार पत्र पृष्ठिका जिस स्थानों में 1528 लिखा है उसकी जगह पर 1528/1 पढ़ा जावे।" हेतु पत्र जारी किया गया है। उक्त समिति द्वारा **"खसरा क्रमांक 1528 के स्थान पर खसरा क्रमांक 1528/1"** किये जाने हेतु सहमति चाहा की गई है।

7. अंडरटेक करेक्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. उपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु उपरी मिट्टी की मात्रा एवं उपयोग योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संग्रहित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं ग्राम कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर पाया वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कंसेशन रिलेस (Mineral Concession Rules) के तहत् सरकारी रिजर्व द्वारा दोहराव का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. छत्तीसगढ़ आवर्त पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान के संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अधिसूचना क्रमांक 804(ई), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपरोक्त पर्यावरण संबंधी के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि लिपट वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग (जिलाधीश कलेक्टर, खनिज शाखा) से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही दिनांक 12/02/2020 के उपरांत किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/12/2022 के परिपत्र में परिभाषित प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(g) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के द्वारा क्रमांक 3828/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 23/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 01/01/2020 से 12/02/2020 तक कुल 188 घनमीटर उत्खनन किया गया है एवं दिनांक 12/02/2020 के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति समाप्त होने के कारण उत्खनन कार्य बंद है।
2. समिति का मत है कि सी.ई.ए.आर. एवं मूल्यांकन कार्य के सीमिटीगि एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-सदस्यीय समिति (प्रोफाईटर/प्रतिनिधि, प्रदेश पर्यावरण के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं मूल्यांकन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
3. माननीय एन.जी.टी. सिंगिल बेंच, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रिंसिपल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2013 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया उपरांत पर्यावरण संबंधी के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के द्वारा क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 05/12/2020 के पीटर अनुसार 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.808 हेक्टेयर है। आंशिक पठार (ग्राम-रेहेपुर) का क्षेत्रफल 0.485 हेक्टेयर है। इस प्रकार आंशिक पठार (ग्राम-रेहेपुर) को मिलाकर कुल

रकबा 4.273 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संरक्षित खदानें का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की पाई गयी।

2. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसा – मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो– श्रीमती मंजू अग्रवाल) की ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1528/1 में स्थित साधारण पत्थर (गैर धात्विक) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर, क्षमता – 2,106 टन (दो सौ पचानवे) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो– श्रीमती मंजू अग्रवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्रवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

13. मेसर्स श्री अटल कुमार पोरवाली (जोरावाई आईस स्टोन क्वारी), ग्राम–जोरावाई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (अधिकारण का नस्ती क्रमांक 1842)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्तावित नस्ती – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 340384/2021, दिनांक 08/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। समिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी किये गये टी.ओ.आर. में पुनःविचार करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने बाबत् दिनांक 27/12/2022 को अनुमोदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गैर धात्विक) खदान है। खदान ग्राम–जोरावाई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 142(पार्ट), 143(पार्ट), 144(पार्ट), 146(पार्ट), 147(पार्ट), 148, 149, 150, 152(पार्ट) एवं 154(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र क्रमांक 116, दिनांक 28/04/2022 द्वारा उपक्रम 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रस्तावित स्टोनक्वारी टर्म्स और रियायतें (रियायतें) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट पर प्रोजेक्ट/एक्टीविटीज विस्तारणार्थ इन्वायरमेंट क्लीयरेंस प्रपत्र ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में शामिल श्रेणी 1(ए) का स्टोनक्वारी रियायतें (लीज सूचनाई सहित) जारी किया गया है।

समिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी किये गये टी.ओ.आर. में पुनःविचार करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने बाबत् दिनांक 27/12/2022 को अनुमोदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा मंत्री, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. कार्यालय ज्ञापन दि. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के 5 अन्य के प्रकाश में की माननीय एस.ई.ए.ए. ने B2 Category में उपखनि पट्टा को, जो 500 मीटर की दीमा में आते हो और जिसका कुल क्षेत्र 5.00 है. से अधिक हो, बी-1 करने हेतु निर्देशित किया है, परन्तु तथ्य यह कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने विभिन्न आदेशों से यह स्पष्ट किया है कि कलक्टर की गणना हेतु केवल उसी खदानों को लिया जाना है जो दिनांक 08/09/2013 के बाद स्वीकृत की गई हो। पूर्वी प्रस्तावित आवेदित खदान हेतु खनिज विभाग द्वारा जारी 500 मीटर क्लस्टर रिपोर्ट के अनुसार इसके 500 मीटर के दायरे में दिनांक 08/09/2013 के बाद स्वीकृत कोई उपखनि पट्टा अस्तित्व नहीं है अतः यह उपखनि पट्टा B2 Category के तहत ही विचार किया जाना चाहिए। अतः प्रकरण पर जारी टी.ओ.आर. के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु पुनर्विचार किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

2. पूर्व में राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 380वी बैठक दिनांक 21/08/2021 की अनुशंसा के आधार पर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1508/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./2021 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/08/2021 एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 805/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./2022 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/08/2022 द्वारा मार्गदर्शन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में पत्र प्रेषित किया गया है:-

   i. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13/08/2018 के परिपालन हेतु 5 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समूह (क्लस्टर) स्थिति में क्या 6 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टों को छूट दी जानी है?

   ii. क्या 6 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को क्लस्टर की गणना में सम्मिलित करना है अथवा नहीं? तथा उनके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट (ई.आई.ए.), इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान (ई.एम.पी.) तथा जन सुनवाई आवश्यक है अथवा नहीं?

   iii. क्या 6 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टों (लीज) या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को संयुक्त इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान (सी.ई.एम.पी.) में सम्मिलित करना है अथवा नहीं?

   उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13/08/2018 के अनुसार ही ई.आई.ए./ई.एम.पी. तैयार किये जाने हेतु टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अस्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 541वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/प्रस्तावित का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निष्कर्ष उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए** परिशोधन प्रस्तावक के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

परिशोधन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स एस टुर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–बी, उपला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़ का नस्ती क्रमांक 1878)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 348080/ 2021, दिनांक 20/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–बी, उपला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 423ए, 423बी, 424, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर में प्रस्तावित विस्तार के तहत् 2 नग 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगोट/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष एवं टी–सीरीज फर्नेस प्रोसेस रैमीफाइड आयरन रोलिंग मिल (टी–सीरीज प्रोडक्ट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनिवेश की कुल लागत 9.5 करोड़ होगी।

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के सूचना दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमित चावड़े, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्बन्धी** –

   - केंद्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा टी–सीरीज प्रोडक्ट्स लीपलाय/स्पंज क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्पंज इंगोट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी स्वीकृतियां दिनांक 04/11/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/11/2024 तक की अवधि हेतु है।

   - परीक्षण में प्रस्तावित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धी शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी जिलगारा 1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन रायपुर 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्थायी विनिर्माण

विमानपत्तन, थाना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 6.4 कि.मी. दूर है।

- **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना परिभाषित किया है।

3. **क्षेत्र एवं भूमि स्वरूप** – प्रस्ताव निहित हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। क्षेत्र एवं भूमि संरचना निम्नानुसार है–

Particular	Area (In Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	**11,520**	**100**

4. **डी–मटेरियल** –

For Induction Furnace			
Raw Material	**Existing Quantity (TPA)**	**After Expansion Quantity (TPA)**	**Mode of Transport**
Sponge Iron	24,425	45,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,617	15,000	
Ferro Alloys	300	600	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,900	In house

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPH) Reheating Furnace (1x18TPH)	Induction Furnace (2x10 TPH) Reheating Furnace (1x10 TPH)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rerolled Product 30,000 TPA	Billets 59,900 TPA Rerolled Product 59,800 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	5,672 TPA

Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में सि–हीटिंग फर्नेस बॉल पेलेटाइजर आधारित पेलेटिंग मिल एवं इन्फ्लक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनी एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यान्वयन उपरांत सि–हीटिंग फर्नेस बॉल पेलेटाइजर आधारित पेलेटिंग मिल एवं इन्फ्लक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पेलेटाइजर बैग फिल्टर स्थापित किया जाना

प्रस्तावित है। मिक्सी की ऊंचाई यथावत् रहेगी। मिक्सी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। सल्फ्यूरिक ऐसिड उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में डी-सेल्फ प्रीकल्चर्ड अमोनिया/यूरिया के उत्पादन हेतु 6.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यक्रमों उपरांत डी-सेल्फ के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में संलिप्त मिल डी-हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 22.100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यक्रमों उपरांत डी-हीटिंग फर्नेस आधारित संलिप्त मिल से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु यूरिया इम्प्रेग्नेट के पहले लाईम बेसिक इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 6.340 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 15,880 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – वर्तमान में इम्प्रेग्नेशन फर्नेस एवं संलिप्त मिल से स्लेग–1,145 टन प्रतिवर्ष, मिल स्क्रैप–150 टन प्रतिवर्ष, एश कैटिन–432 टन प्रतिवर्ष, यूज्ड आयल–80 लीटर प्रतिवर्ष, किचन वेस्ट 5 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं ऐश–1 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यक्रमों उपरांत इम्प्रेग्नेशन फर्नेस एवं डी-हीटिंग फर्नेस बंद कर पैरोलिसिस आधारित संलिप्त मिल से स्लेग– 2,250 टन प्रतिवर्ष, मिल स्क्रैप– 300 टन प्रतिवर्ष, एश कैटिन–800 टन प्रतिवर्ष, यूज्ड आयल – 160 लीटर प्रतिवर्ष एवं ऐश–2 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को सीमेंट प्रोडक्शन इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल स्क्रैप एवं एश कैटिन को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेन्डर को विक्रय किया जाएगा। ऐश को कन्सिस्ट ईंट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल आवश्यकता एवं स्रोत** – वर्तमान में परिचालन हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, बायर्स संयंत्र हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यक्रमों उपरांत परिचालन हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, बायर्स संयंत्र हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। संलिप्त मिल से दूषित उपरांत जल दूषित जल को संग्रह कर पुनः दूषित हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को संग्रह कर पुनः दूषित हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रमों उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परिचालन से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एम्बीलेंसर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ग्रीज एवं ग्रीट ट्रेप, सी-सीवेज कलेक्शन टैंक, एम्बीलेंसर

टैंक, ठोस पदार्थ, फिल्टर प्रेस, इंटरमीडिएट टैंक, प्रेशर सैण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं आटा मिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सूक्ष्म निस्तारण की विधि रखी जायेगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) पूर्व एवं वर्तमान उद्योगों को कुल के कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) प्राकृतिक जल निकायों हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रिचार्ज हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकासी करने की अनुमति केंद्रीय प्राकृतिक जल बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग की रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **ग्रेन वीटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल एकत्रीकरण 7,867 घनमीटर है। वर्तमान में ग्रेन वीटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ग्रेन वीटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण एकत्रीकरण को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज संरचनाएं इस प्रकार निर्मित किए जायेंगे कि इनमें उपयोग मात्रा से वर्षा जल का संग्रहण हो सके।

2. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्प्रति प्राप्त स्थानीय क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / पुनःचक्रण, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30.287.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएचई बैग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से कुल उत्सर्जन की मात्रा 24.788.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। यदि इन्सीनेटर के पहले लाइम डोजिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ.2 उत्सर्जन की मात्रा 22.100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 12.880 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अतिरिक्त दैनिक मिल के सुनियोजित उपयोग द्वारा दूषित जल को ठोस कर पुनः सुनियोजित हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा सूक्ष्म निस्तारण की विधि रखी जायेगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अवसान उपयोगानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.2 उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपयोग की मात्रा में अधिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल एकत्रीकरण का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

12. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इन्सीनेटर फ्लीस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित

कार्यकलाप उपरांत इम्पलशन फ्रीक्वेंसी (2 X 10 TPM) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं है। जबकि इम्पलशन फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः समिति का मत है कि पुनरीक्षा हेतु पुनः प्रस्तुत भाग की स्पष्ट गणना परिवेशन प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित में प्रस्तावित परियोजना के विकास हेतु 5.08 हा. भूमि चिन्हित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.46 हेक्टेयर (लगभग 46.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 514 पेड़ रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित परिसर के भीतर 46.1 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्तमान पदचिन्ह एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल डिस्पेंडेंस का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अस्वीकार किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल डिस्पेंडेंस का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पदचिन्ह, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. कार्यालय में लंबित प्रकरणों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बंधित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्रस्ताव भाग में कार्यालय में लंबित इम्पलशन फ्रीक्वेंसी (1 X 10 TPM) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इम्पलशन फ्रीक्वेंसी (2 X 10 TPM) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जबकि इम्पलशन फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः पुनरीक्षा हेतु पुनः प्रस्तुत भाग की स्पष्ट गणना कर प्रस्तुत करते हुए एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. किसी भी पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/घनमान मानकीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/घनमान मानकीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. ओल पैसीकरण के उपरान्त किनीटिक वेस्ट सेंटर के उपचार / निपटान परिचालन और अन्य अनुषंगित (प्रबंध एवं रोकथाम संचालन) नियम, 2016 (संशोधित) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ओल पैसीकरण से उत्पन्न किनीटिक वेस्ट सेंटर हेतु माह जनवरी 2017 को जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रकार सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वार्षिक पटकथार एवं बजटवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. विद्युतिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकथार, बजटवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 08/08/2022 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 41वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. वर्तमान में अवशिष्ट प्रबंधनों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्बंधित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यपालन अभियंता (संचालन-02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के प्रारूप दिनांक 08/01/2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

3. प्रस्तुत प्रस्ताव भाग में वर्तमान में अवशिष्ट इन्सिनरेशन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरांत इन्सिनरेशन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आगमन प्रवाह दर (volumetric flow rate) समान समान करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया कि अवशिष्ट किस्मों का ये परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, प्रस्तुत

नियंत्रण हेतु प्रस्तावित स्थान पर बैग फिल्टर लगाया जाएगा। अतः प्रदूषण भार की गणना हेतु आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) उपयोग होगी। साथ ही बिजली से चालित्र मोटर का उपकरण 50 किलोवाट/सामान्य परमीटर से 25 किलोवाट/सामान्य परमीटर कम करने हेतु उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. वर्तमान में चालित्र मोटर उपकरण 50 किलोवाट/सामान्य परमीटर के अनुसार कुल उपकरण भार 22.384.4 कि.वा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएचई बैग फिल्टर एवं बिजली से चालित्र मोटर का उपकरण 25 किलोवाट/सामान्य परमीटर के कम सुनिश्चित किये जाने के बाद उपकरण की भार 13,384.8 कि.वा. प्रतिवर्ष होगी।

5. प्रस्तावित प्रकरण में कोल गैसीफिकेशन प्रोसेस के तहत प्रदोष का संचालन किया जाएगा। गैस उत्पादन 420°C से अधिक रखा जाएगा। पाईप लाईन में एवं गैसीफायर में किसी भी प्रकार का टार कन्डेन्सेट नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोल से निकला सीमेंट एवं पीसीएचई मोटर उपस्थित रहेंगे। गैस लाई क्वेंचिंग विधि से रहेगा। अतः विनीडिंग वीयर उत्पन्न नहीं होगा। समिति का मत है कि यदि किसी कारणों (गैस उत्पादन में कमी होने, आकस्मिक कार्य अवरोध की स्थिति में, विद्युत अवरोध की स्थिति में इत्यादि) से विनीडिंग वीयर उत्पन्न होगा, तो संबंध में विनीडिंग वीयर के उपचार / निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी संलग्न करना आवश्यक है।

6. वर्तमान में प्रतिदिन पौधरोपण के निमित्त हेतु 500 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.48 हेक्टेयर (लगभग 48.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 814 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,180 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। पूर्व की प्रस्तावित का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 814 नग पौधों के लिए राशि 1,22,600 रुपये, मरीजों के लिए राशि 1,84,200 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 10,74,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 13,81,300 रुपये 5 वर्षों हेतु पाटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि डी.एम.एफ. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग (25 करोड़) का 2 प्रतिशत 10 लाख रुपये का व्यय प्रस्ताव के आय-व्यय हेतु पार्थ निर्माण में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पाटकवार, वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. पर्यावरण प्रबंधक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 5 एवं 8 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. डी.एम.एफ. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/स्थान से संबंधित कोई न्यायालीय प्रकरण देश के अलावा किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का फेटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा पश्चात् प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित फायर प्रोटोकॉल द्वारा का प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्बन्धी के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. मोल बेसड पैकेजिंग प्रोसेस का पूर्ण चार्ट चार्ट (with drawing and design) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित पैकेजिंग में ग्रीट पैड आवश्यक तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं पैकेजिंग से उत्पन्न पैड का कम्पोस्टीकरण नहीं किया जाएगा, जिससे कोई मिनीरिक वीट उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी कारण से मिनीरिक वीट उत्पन्न होगी तो उसे पैकेजिंग में पुनः इनपुट (re-input) किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण से चार्ट उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
950	2%	19	Following activities at nearby, Village Sarora	
			Eco Park Nirman	19.04
			Total	19.04

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत (प्रांगण, बाड़, पौधरोपण, पौध, खाद, उपकरण, औजारादि आदि) सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,000 पेड़ों के लिए राशि 80,000 रूपये, बोरिंग के लिए राशि 1,52,000 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि

3,30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,14,200 रुपये तथा अगले 4 वर्ष में कुल राशि 13,38,400 रुपये हेतु पटवारवार भाग का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बारेठ, तहसील धरसीवा, जिला–रायपुर के खसरा नंबर (खसरा क्रमांक 408/2, क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 368, क्षेत्रफल 0.51 हेक्टेयर, कृ–श्रेणी की भूमि पानमेव) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. के.एम.एल. फाईल सहित पूर्वावेदन की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/स्थान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध पानी अधिनियम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सलाह सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी जल एवं वायु कम्पनी के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत करें;
2. के.एम.एल. फाईल सहित पूर्वावेदन की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सदस्य दिनांक 28/12/2022 के परिपत्र से परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(5) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु कम्पनी के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. के.एम.एल. फाईल सहित पूर्वावेदन की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनुसार हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में कुल 614 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,36,080 रुपये, बोरिंग के लिए राशि 1,84,200 रुपये, खाद के लिए राशि 16,420 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,47,800 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 5,86,500 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,86,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पटवारवार भाग का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. समिति द्वारा यह पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3232(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "यदि अलौह डी-रोलिंग इकाईयों या केवल रोलिंग इकाईयों, जिसकी क्षमता 5,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो।" को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है। अतः समिति का मत है कि केवल क्षमता विस्तार के तहत 2 पुराना 10 रीरोलिंग (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इस्पात फर्नेस (इनगट/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर विचार किया जाना संभव है। रोलिंग मिल इकाई हेतु पृथक से टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किये जाने के पश्चात ही कार्यवाही किया जाना संभव है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यसूची में** मेसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को प्रस्तावित कार्यालय के तहत सेक्टर-बी, उपला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 428/1, 427/1, 428, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.16 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत 2 पुराना 10 रीरोलिंग (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इस्पात फर्नेस (इनगट/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में ग्राम-कोनेर, तहसील धरसीवा, जिला-रायपुर के राजस्व स्थल (खसरा क्रमांक 409/2, क्षेत्रफल 0.363 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 366, क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर, भू-धारी की पुलिस पारवेश) को 25 वर्षों हेतु लीज में दिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किया जाना बताया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि 25 वर्षों हेतु लीज भूमि में सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत प्रस्ताव समीचीन नहीं है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु अन्य स्थान पर करने हेतु पूर्व प्रस्ताव अथवा अन्य समीचीन प्रस्तावना जानकारी मंगवाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यसूची से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परिशिष्ट उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ एवं परिवेशीय प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कोनेर, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (प्राधिकरण का पत्रांक 1822)

ऑनलाईन आवेदन – प्रकरण पत्रांक – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 253886/ 2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परिवेशीय प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यालय के तहत ग्राम-कोनेर, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.888 हेक्टेयर में सी-रोलिंग क्षेत्रफल कुल इस्पात फर्नेस क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 50,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त

करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपखंड परिशोधन की निर्धारित उपयोग 2.5 हजार होगी।

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रथम दिनांक 08/06/2022 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की अंतिम बैठक दिनांक 08/06/2022:

अनुशंसित हेतु की संलग्न सूचना सिद्ध, अधिसूचित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से विस्तृत एस.टी.ए. टि–टोल प्रोसेसिंग (यू इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म) क्षमता – 20,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/08/2020 को जारी की गई है।

   - पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम शहर रायपुर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भाठा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्थानीय विधानसभा विधानसभा, धरसा, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत चर्रिदा का दिनांक 31/05/2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **भू–स्वामित्व** – मेसर्स जायसीन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा की ईकाई का ये खसरा क्रमांक 143 एवं 144 कुल रकबा 1.858 हेक्टेयर भूमि को क्रय किया गया है। क्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. **लेण्ड एरिया ब्रेकअप –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace Area	3,525.15	21.3
2.	Rolling Mill Area	1,324	8.0
3.	Finished Good Area	695.1	4.2
4.	Raw Material Yard Area	761.3	4.6
5.	Parking Area	614.05	3.71
6.	Road Area	761.3	4.6

7.	Greenbelt Area	6,621.65	40.01
8.	Area for Future Expansion	2,247.45	13.58
	Total	16,550	100

6. रॉ-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	500		
For Rolling Mill (Re-rolled Products)				
1.	Billets	59,500	In house	-

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH + 1 x 6 TPH
2.	Production	29,500 TPA	59,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – संयंत्र में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनी एवं 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रमों के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु अपनाई जाएगी।

9. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यक्रमों के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लैग – 2,400 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से फ्यूज ऑयल 180 लीटर प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लैग को रोड बनाने इकाईयों को निःशुल्क किया जाएगा। फ्यूज ऑयल को अधिकृत विक्रेता इकाईयों को निःशुल्क किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – वर्तमान में परिचालन हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (पेयजल उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट कंट्रोल हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यक्रमों उपरांत परिचालन हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (पेयजल उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट कंट्रोल हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 02/01/2024 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। संलिप्त मिल के बुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः बुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक एवं सोकपिट टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एनसीडीसी उपनीक प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 5 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है। यदि आवश्यक प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू-जल संरक्षण प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) पूरा एवं भवन उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) वाराणसी वाटर रिसोर्स हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग की रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8,746 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्व रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें संग्रहण मात्रा में वर्षा जल का संग्रहण हो सके।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – कम्पनी द्वारा स्थापित क्षमता के उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / पुनःचक्रण, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में फॉस्फेटेड नेटर उत्पादन 30 मिलीग्राम/घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 0.026 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित रेन वियर एवं किम्पी से फॉस्फेटेड नेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/घनमीटर के कम सुनिश्चित किये जाने से अल्प उत्सर्जन की मात्रा 0.022 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अतिरिक्त संलिप्त मिल के बुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः बुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 2,030 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपशिष्ट उपयोगानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले फॉस्फेटेड नेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःचक्रण/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना में परिचालन हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परिचालन हेतु कुल 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। परियोजना में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसकी अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 125 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना में हरित पट्टिका के विकास हेतु सेवाकाल 0.475 हेक्टेयर (28.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 780 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत सेवाकाल 0.082 हेक्टेयर (40.21 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 888 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कमेटी के समक्ष विवरण से वर्षों उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	1%	2.5	Following activities at, Government Girls High School Village- Cherola	
			Rain water harvesting	1.215
			Water Supply arrangement with 3 year AMC	0.65
			Water tank & pipe line Facility for Toilets	0.45
			Plantation	0.45
			Total	2.765

15. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का कमेटी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु बोर्डिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का प्रावधान, रखरखाव व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरांत कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तावित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के समक्ष का प्रस्तुत जाए।

2. ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि एवं जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होना संभावित है। अतः पर्यावरण के संरक्षण में स्थापित एवं प्रस्तावित परियोजना हेतु तुलनात्मक प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा क्रियान्वयन हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पाक्षिकवार, कार्यवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 27/07/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा समस्त अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परीक्षण में ठोस अपशिष्ट के मात्रा में स्लेग- 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, फ्लि स्लेग-150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एश कंटेन-800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होना है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट की मात्रा में स्लेग- 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, फ्लि स्लेग-150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एश कंटेन-800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होना प्रस्तावित है। परीक्षण में स्लेग को स्लेग ग्रेनुलेशन इकाई को प्रदान किया जाता है। फ्लि स्लेगएवं एश कंटेन को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।

3. प्रस्तावित कार्यकलाप से जल उपभोग की मात्रा में 11 किलोलीटर प्रतिदिन वृद्धि होगी। उपरान्त औद्योगिक दूषित जल को कूलिंग हेतु उपयोग किया जाता एवं घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार उपरांत पुनःचक्रण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 50 नग पुनःरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, ट्री गार्ड के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 375 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 33,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 50,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,28,475 रूपये हेतु पाक्षिकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सलाह कार्यवाही में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 की जानकारी/उपलब्धि प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 445वी बैठक दिनांक 11/01/2023-

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिससे सम्मति शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना उपलब्धित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यवाही** से मैसर्स जयदीप इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, तहसील-साजा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.885 हेक्टेयर में टि-गेन्स प्रोडक्ट्स यू इस्पात कनेक्ट क्षमता – 28,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 88,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 141वी बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यवाही के उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मैसर्स हसिनसुर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री प्रदीप कुमार वर्मा), ग्राम–हसिनसुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (अधिकारण का नस्ती क्रमांक 2886)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 777986/2022, दिनांक 22/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चालू (लीज धारिता) खदान है। खदान ग्राम–हसिनसुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 180 एवं 286, कुल क्षेत्रफल–3.85 हेक्टेयर में है। खदान की अधिकृत उत्पादन क्षमता–88,581.72 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रबन्धक के पत्र दिनांक 27/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आगामी आगामी से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रबन्धक को पूर्व में पाई गई कमियों जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रबन्धक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार वर्मा, डोमराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में पत्रांक उद्योग पत्रांक 100 एवं 200, कुल क्षेत्रफल–3.85 हेक्टेयर, क्षमता–28,782.2 घनमीटर (98,561.72 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावकारी निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 16/07/2017 तक वैध थी।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रबन्धक द्वारा पृथक्कृत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार पूर्णावलोकन नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2216/खनिज/उ.प./2022/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	7,192
2018	374
2019	4,870
2020	8,304
2021	2,000

समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रबन्धक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16/07/2017 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य

किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकार मेमोरेण्डम दिनांक 20/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकार मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ ऑपरेशन (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate

   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर आगामी/पश्चातवर्ती प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उपखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत सिलोदिया का दिनांक 06/10/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उपबन्ध योजना** – खदानों पाल एवं/या बिना खदानों अवैध पाल बिना इमारतों मेसर्स पाल प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बांसवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 461/खनिज/खनि.2/2016/बांसवाड़ा दिनांक 06/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2184/खनिज/ई.ए./2022/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिकतम 4 खदानें, क्षेत्रफल 7 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2184/खनिज/ई.ए./2022/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे चर्च, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, पुलिया एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की अवधि बढ़ाकर वर्षों के नाम पर है। लीज क्षेत्र लीज 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/07/2007 से 16/07/2017 तक की अवधि हेतु दिया गया। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/07/2017 से 16/07/2037 तक की अवधि हेतु निलंबित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (प्रा.), वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/क्र.वि./2008/07 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 03/06/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. से अधिक की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरिनपाठा 880 मीटर, स्कूल ग्राम–बोरनपाठा 3.25 कि.मी. एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ़ 7.84 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.41 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.16 दूर है। हवाईपट्टी 1.22 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,57,843 टन, माइनेबल रिजर्व 7,81,008 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,88,760 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,000 वर्गमीटर है। औसत कवर बेसी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम पहाड़ी की उपरांत पूर्ण चरण में 6 मीटर तथा पहाड़ी की उपरांत परिधि चरण में 18 मीटर है। स्तर (Surface level) से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई पूर्ण चरण में 6 मीटर तथा प्रस्तावित अधिकतम गहराई परिधि चरण में 3 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल चरण 44,280 घनमीटर है। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जलधार नहीं है एवं इसकी जलधारा का प्रावधान नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग

अवशिष्ट किया जाता है। खदान में धूलि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	54,868.5	चतुर्थ	58,582.4
द्वितीय	54,900	पंचम	61,116.9
तृतीय	55,036.8	छठवें	62,986.7
चतुर्थ	57,712.3	सप्तम	63,051.3
पंचम	58,437.8	अष्टम	66,986.2

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल आपूर्ति हेतु पात्रता एवं वैधानिक विवरण/स्रोत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 784 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 5 से 6 मीटर ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाना सोसायटीवार सहित अनापत्ति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा मार्बल पार्क्स लिमिटेड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रारंभिक परिवेदन नं. 186 और 2015 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2154/खनिज/उ.प./2022/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित 4 खदानें, क्षेत्रफल 7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–हरिहरपुर) का रकबा 3.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–हरिहरपुर) की निकटवर्ती कुल रकबा 10.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का लघुतर निर्धारित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत पर्यावरणीय से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अधिनियम, 2015 में उपबंधित परियोजनाओं एवं अन्य विशेष (रियायत) योजना ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट योग्य प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज विस्तारित इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि योजना ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में संशोधन की 1(ए) का परियोजनाओं रियायत (लोक सुनवाई सहित) नीचे बताए गए प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त रियायत के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 17/07/2017 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xvii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.

xviii. The project proponent shall submit penalty provisions plan as per the MoEF&CC office memorandum:- Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

xix. The project proponent shall submit turnover details during the period of violation.

xx. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xxi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation (5 to 6 feet) during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum (6) feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा विचार के निबंध – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संख्या 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निबंधों उपरांत पर्यावरणीय** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिवेशगत प्रस्ताव को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

17. **मेसर्स तिलोका ग्राईन स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ऋषि प्रजापति), ग्राम–तिलोका, तहसील–पुष्पारोही, जिला–बालोद (सलियारा का भाटी क्रमांक 2080)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसइआई/ सीजी/ एमआईएन/ 196331/2022, दिनांक 29/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित खुदा पत्थर (मीन मिनिरल) खदान है। खदान ग्राम–तिलोका, तहसील–पुष्पारोही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 281(पार्ट), 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, 284/1, 284/2, 285(पार्ट), 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1 एवं 329/2, कुल क्षेत्रफल–4.82 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित परिक्षेत्र क्षमता–3,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तत्पश्चात परिवेशगत प्रस्ताव को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 18/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवेशगत प्रस्ताव के पत्र दिनांक 27/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवेशगत प्रस्ताव की पूर्व में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी एवं समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तत्पश्चात परिवेशगत प्रस्ताव को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ऋषि प्रजापति, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तिलोका का दिनांक 10/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **वानिकी योजना** – वानिकी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो वनि अधिकारी, जिला–उत्तर वनमंडल बालोद के प्रारूप क्रमांक 1202/वनिज/उत्तर.वी.मंडु./ग.व./2021–22 बालोद, दिनांक 09/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि.वि./उ.प्र. आवेदन/2021–22 बालोद, दिनांक 31/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.26 हेक्टेयर है।

5. **250 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – प्रस्तावित खदान से 250 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं उत्खनन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित होने अथवा नहीं? के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र (क्रमांक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. की स्थिति प्रस्तावित के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1331/खनि.वि./उ.प्र.एनओआई/2021–22 बालोद, दिनांक 21/06/2021 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 261(पार्ट), 263/2, 263/4, 263/5, 264/2, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 कीमती सलिता सूमनाथ, खसरा क्रमांक 263/3 की कमलेश यादव, खसरा क्रमांक 266(पार्ट) की गंगाराम प्रसाद, खसरा क्रमांक 318, 329/1 की गोविन्द राम ठाकुर, खसरा क्रमांक 264/1 की संतोष कुमार एवं खसरा क्रमांक 329/2 की विठ्ठू के नाम पर है। भूमि खसरा क्रमांक 322, 324, 327 कीमती सलिता सूमनाथ, खसरा क्रमांक 263/3 की कमलेश यादव, खसरा क्रमांक 266(पार्ट) की गंगाराम प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 329/2 की विठ्ठू के आवेदन हेतु सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, बालोद के ज्ञापन क्रमांक/उप.अधि./ग.अ. 23/2022/3800 बालोद, दिनांक 03/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 48 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तिरोदा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–तिरोदा 1 कि.मी. एवं अस्पताल गंगाबोड़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संचालन एवं खनन का विवरण** – रिजर्वेटिविल रिजर्व 18,73,000 टन, माइनेबल रिजर्व लगभग 8,58,000 टन एवं रिकवरेबल 7,73,000 टन है। सीम की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 11,500 वर्गमीटर है। क्षेत्रफल आधार सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया

जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित प्रतिवर्ष गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपशिष्ट मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,800 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ब्लास्ट प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। बेंच हैमर से ड्रिलिंग एवं कंटोर प्रस्तावित किया जाएगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,000
द्वितीय	3,00,000
तृतीय	1,80,000
चतुर्थ	1,80,000
पंचम	1,20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में जल की आपूर्ति का भण्डारण/स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटरावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **नैट माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण होने के कारण 2,140 वर्गमीटर क्षेत्र एवं 12.5 मीटर की गहराई के उपरांत उत्खनन संभव नहीं होने के कारण 7,660 वर्गमीटर तथा 11 मीटर की गहराई के उपरांत उत्खनन संभव नहीं होने के कारण 7,660 वर्गमीटर को नैट माइनिंग क्षेत्र माना गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 11,500 वर्गमीटर है, जिसमें से 2,011 वर्गमीटर क्षेत्र 11 मीटर की गहराई पूर्व से ही उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जांच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु पारित पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनर मिनरल क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रिंसिपल दुलिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where area is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक क्र/खनि, नि./उ.र. आवेदन/2021-22 बालोद, दिनांक 31/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राम-तिलेदा) का रकबा 4.82 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-तिलेदा) को मिलाकर कुल रकबा 16.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनर मिनरल क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्स्थापन आदि के लिये सुनिश्चित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जैसे उपरांत निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची के क्रमांक 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिलेटेड विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन फॉर माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the consent letter of khasra number 329/2, 322, 324, 327 & 295(Part) from land owners for uses of land.

iv. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Anicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 250 meter radius from the proposed mine.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit the copy of LOI extension.

viii. Project proponent shall submit the details of water source & NOC for usage of water from competent authority.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year

incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/02/2023 की संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार निमित्त उपलब्ध कार्यवाही में** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स एंड कंडीशन्स (टी.ओ.आर.) (शोध सूचकांक सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) भूमि खसरा क्रमांक 302, 304, 307 कीमती उपलब्ध भूमिकार, खसरा क्रमांक 283/3 की कमर्शियल पार्क, खसरा क्रमांक 286(पार्ट) की गवर्नर प्रासाद एवं खसरा क्रमांक 328/2 की विद्युत के उपकरण हेतु सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही टर्म्स एंड कंडीशन्स (टी.ओ.आर.) (शोध सूचकांक सहित) जारी किया जाए।

(2) (i) माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के मुख्य भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपयोगी उपजों (Economical Minerals) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा सुरक्षात्मक आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालनालय, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(a) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परिपालन प्रावधान के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(b) माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के मुख्य भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिपालन प्रावधान को यथानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

18. मैसर्स सिलोदा माईन्स स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती संगीता कुंभकार), ग्राम–सिलोदा, तहसील–कुरूसपोड़ी, जिला–बालोद (संचालक का नवीन क्रमांक 2081)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एमपीई/ सीजी/ एमआईएन/ 19888/ 2022, दिनांक 25/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कुल पत्ता (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिलोदा, तहसील–कुरूसपोड़ी, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 330, 331, 332, 334, 363, 367/2, 370, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 एवं 389, कुल क्षेत्रफल–4.86 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–3,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 06/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तात्कालिक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं सम्पूर्ण पूर्णतया जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुंभकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत सिलोदा का दिनांक 10/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – खदान योजना प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा क्रमांक 1203/खनिज/उत्खनन/उ.ब.कां./2021–22 कांकेर, दिनांक 08/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के द्वारा क्रमांक 83/खनि.नि./उ.प्र.अवेक्षण/2021–22 बालोद, दिनांक 31/01/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.26 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक केन्द्र/संरचनाएं** – प्रस्तावित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक केन्द्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र (आवक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती संगीता मुल्चन्दानी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1320/खनि.वि./ए.एल.ओ.आई./2021–22 कांकेर, दिनांक 21/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 320 की रकबेवार पावती, खसरा क्रमांक 322, 324, 363 श्रीमती सुनाली बाई, खसरा क्रमांक 367/2, 371, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 श्रीमती संगीता मुल्चन्दानी एवं खसरा क्रमांक 389 की संयोजित दान के नाम पर है। प्रस्तावक के संबंध में भू–स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। खसरा क्रमांक 321 के भू–स्वामी संबंधी (बी–1, बी–2) दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/एफ.सी./एफ.सी./2022/3887 कांकेर, दिनांक 23/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 48 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तिलोदा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–तिलोदा 1 कि.मी. एवं अस्पताल गढ़चिरोली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 21,22,750 टन, माईनेबल रिजर्व 8,80,480 टन एवं मिनेबल रिजर्व 8,82,414 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.074 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 28,296 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवार्ड अवशिष्ट किया जाना प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 5.274 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ब्लेसिंग एवं बहुतल खदानिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	99,999.75
द्वितीय	3,00,000
तृतीय	99,997.5
चतुर्थ	99,997.5
पंचम	99,997.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में जल की आपूर्ति का स्थानीय/स्वतंत्र एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में 1,200 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (50 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटरीवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चौड़ी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चौड़ी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **नॉन माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 7,500 वर्गमीटर क्षेत्र को खनी मिट्टी के भण्डारण हेतु नॉन माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित स्कीम प्लान में किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा याचिका पत्रांक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रतिवादगण) (प्रिंसिपल ऑरिजिनल नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 63/खनि. वि./ए.ए.आवेदन/2021-22 बालोद, दिनांक 31/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्रश्न-डिलेटेड) का रकबा 4.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्रश्न-डिलेटेड) को मिलाकर कुल रकबा 16.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की त्रिज्या में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की पाई गई।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना, 2016 में प्रकाशित स्टीपल्स टर्म्स और रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ईएमपी, रिपोर्ट और योजना/एसईआईए/एसईसीएल पिलखरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी अथवा (आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का परियोजना प्रोपोनेंट पूर्णतया सहित) नीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु विस्तृत अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the land documents (B-1& P-2) of khasara number 331.

iv. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Anicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 300 meter radius from the proposed mine.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit the copy of LOI extension.

viii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

ix. Project proponent shall submit the details of crusher with capacity and air pollution control arrangement in crusher.

x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation (5 to 8 feet) during the current year

incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 14वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची में** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि पंजयन क्रमांक 221 के भूमि संबंधी जानकारी (बी–1, बी–2) एवं खसरा नक्शा (यदि आवश्यक हो) प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स जय माँ काली स्टोन क्रशर (हरिनचपुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी, प्रो.– श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव) ग्राम–हरिनचपुर, तहसील–मनेंद्रगढ़, जिला–कोरिया (पर्यावरण का नस्ती क्रमांक 2985)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्तावित नगर – एमआईए /सीजी /एमआईए / 00006/2022, दिनांक 12/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित खदान प्रकार (रोन क्रशिंग) खदान है। खदान ग्राम–हरिनचपुर, तहसील–मनेंद्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित पट्टे ऑफ खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–15,000.00 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 04/11/2022 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

अनुशंसित हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/11/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वर्तमान जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में अनुशंसित किया जाना संभव नहीं है। अतः जानकारी आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्पश्चात कार्यवाही से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई वांछित जानकारी एवं समस्त मूलभूत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार मोहन्तम, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-16,000.25 टन (5,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावकारी निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 30/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 19/03/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 587/खनिज/ख.प्र./2022/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	2,187
2018	3,289
2019	880

2020	1,251
2021	750

समिति का मत है कि वर्ष 2021 के उपरांत बिंदु पर उपखनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज नियमन के प्रपत्रित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उपखनन के संबंध में ग्राम पंचायत हरिनगरपुर का दिनांक 08/06/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि अवर की खदानों के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **पर्यावरण योजना** – खदानों पर्यावरण इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवम खदानों सोशियल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 380/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया–बिलासपुर–बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक 60/खनिज/एन.एम.डी.सी., दिनांक 11/01/2023 के अनुसार अंकेक्षित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 8.73 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 180/खनिज/एन /2022, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 28/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे चर्च, मस्जिद, मन्दिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह सामान्य भूमि है। लीज मेसर्स जय भी बाबी स्टोन क्रशर, डी. की सुनील कुमार श्रीवास्तव के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/06/2012 से 20/06/2017 तक की अवधि हेतु किए थी। तत्पश्चात लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/06/2017 से 20/06/2042 तक निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी (रा.), सामान्य मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/का.नि./2008/3474 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 28/10/2008 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हरिनगरपुर 864 मीटर, स्कूल ग्राम–हरिनगरपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 680 मीटर एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। तालाब 125 मीटर, नदी नाला 108 मीटर एवं हाईटेंशन तार 1.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/डीनोटिफाइड संरक्षित क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

खनिजयुक्त क्षेत्र का परिमित जियोलॉजिकल क्षेत्र निकट नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,21,508 टन, माइनेबल रिजर्व 1,58,192 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,40,176 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,388.00 वर्गमीटर है। क्रोमाइट खनन सभी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में खनी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल भराव 10,088.83 घनमीटर है। बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं ऊँचाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवैध स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर है। लीज क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,633.0	षष्ठम	15,937.3
द्वितीय	11,888.1	सप्तम	15,937.3
तृतीय	12,417.3	अष्टम	15,937.3
चतुर्थ	12,752.9	नवम	15,937.3
पंचम	14,811.3	दशम	15,937.3

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 830 पौधे वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 500 पौधे वृक्षारोपण किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में रेल्वे डेवलपमेंट के कारण 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख कार्ययोजना में किया गया है।

15. समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि प्रस्तुत माईनिंग एण्ड जियोलॉजिकल प्लान अनुसार लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में खनन स्थगित है। अतः समिति का मत है कि लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्र में खनन को विस्थापित कर लीज क्षेत्र के अन्य स्थान में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) तथा खनन का क्षेत्रफल को पृथक-पृथक गैर माईनिंग में दर्शाते हुए एवं यदि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीम पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया हो तो उत्खनन की उपलब्ध करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च माननीय विभिन्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग्स रजिस्ट्रेशन नं. 180 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन) जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 80/खनिज/एम/2023 एम.सी.बी. दिनांक 11/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.72 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-हरिनपानी) का रकबा 2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-हरिनपानी) को मिलाकर कुल रकबा 11.72 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही के प्रकरण 'बी2' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित परिपत्र एम्बे ऑफ रिलेशन (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अपनर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का परिपत्र टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे दर्शाए गाइडिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. Project proponent shall submit the NOC from gram panchayat for crusher establishment.

vii. Project proponent shall submit the details of crusher with capacity and air pollution control arrangement in crusher.

viii. Project proponent shall submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

x. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation (5 to 6 feet) during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CSR proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

पर्यावरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर पर्यावरण की दिनांक 10/03/2023 की संख्या 141वीं बैठक में विचार किया गया। पर्यावरण द्वारा चर्चा का अवलोकन किया गया। **पर्यावरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसमिति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार शर्तों सहित निर्णय (टी.ओ.आर) (सहित फुलपाइप सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को भेजा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को भेज लेख किया जाए।

26. मेसर्स पुष्टीपार लाईम स्टोन खदान (प्रे.–की ओपन कास्ट), ग्राम–पुष्टीपार, तहसील–कसौदाबाजार, जिला–कसौदाबाजार–गरियाबंद (सचिवालय का पत्र क्रमांक 2877)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/78214/ 2022, दिनांक 12/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/27/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीज क्षेत्र) खदान है। खदान ग्राम–पुष्टीपार, तहसील–कसौदाबाजार, जिला–कसौदाबाजार–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 44, 52 एवं 53/2, कुल क्षेत्रफल–0.827 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–10,000.15 टन प्रतिवर्ष है।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/11/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण वे आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः जानकारी आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओमन वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गठित, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   1. पूर्व में कुल चालू खदान खसरा क्रमांक 44, 52 एवं 53/2, कुल क्षेत्रफल–0.827 हेक्टेयर, क्षमता 27,842.2 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्देशन प्राधिकरण,

जिला-कलेक्टर-सटायर द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए थी।

परिवेशन प्रकोष्ठ द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 08/01/2023 तक कर दी गयी।

a. परिवेशन प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिवेशन प्रकोष्ठ द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

b. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कलेक्टर-सटायर के ज्ञापन क्रमांक 849/तीन-6/2022 कलेक्टरेट, दिनांक 11/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017–18	निरंक
2018–19	निरंक
2019–20	4,000
2020–21	2,500
2021–22	2,000

समिति का मत है कि वर्ष 2021–22 के उपरांत किए गए उत्खनन की जानकारी शाखा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भटगांवी का दिनांक 21/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खनिज क्षेत्र कलेक्टर प्लान एवं विस्तृत खनिज कलेक्टर प्लान बिना इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (खा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 6424/खनि 02/भाग 2 अनुमोदन/10.08.06/2021(2) नया रायपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 214/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, केवल 27.25 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 214/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, पुल, नहरें, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज की अवधि वर्षों के साथ पत्र है। लीज क्षेत्र 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/03/2007 से 19/03/2017 तक की अवधि हेतु दिया गया। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/03/2017 से 19/03/2037 तक विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 44 कोसमी मोनाबाई वर्मा, खसरा क्रमांक 52 एवं 53/2 श्री बाबूलाल, श्री भगवान, श्री पुरुषोत्तम, श्री ओमप्रकाश एवं कोसमी परसौतमी बाई के नाम पत्र है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी कोसमी मोनाबाई वर्मा का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों (श्री बाबूलाल, श्री भगवान, श्री पुरुषोत्तम एवं कोसमी परसौतमी बाई) के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज लीज में निकटतम वन क्षेत्र की उपलब्धि दूरी के संबंध में वन विभाग के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बुड़ीपार 300 मीटर एवं समूह ग्राम–बुड़ीपार 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 08 कि.मी. दूर है।

11. **पर्यावरणीय/पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रदूषण द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,82,287 टन, माईनेबल रिजर्व 76,778 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 74,838 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,488 वर्गमीटर है। प्रस्ताव कागज सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कम्प्रेसर प्रयोगित किया जाता है। लीज क्षेत्र में प्रस्ताव स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल

का निष्कासन किया जाना है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,443.75
द्वितीय	10,550.00
तृतीय	10,595.00
चतुर्थ	7,462.50
पंचम	10,903.75

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा एवं स्रोत तथा जल की आपूर्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में खाली और 7.5 मीटर की चौड़ी में 875 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **नैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण होने के कारण 400 वर्गमीटर क्षेत्र को नैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के खाली और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,488 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,122.5 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय सीमुद्दों की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) में अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा मार्टिन मानकेल विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रारंभिक एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

iv. If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण स्वीकृति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 214/खनि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 378.25 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-पुहीपार) का रकबा 0.607 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-पुहीपार) को मिलाकर कुल रकबा 378.177 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का समतुल्य निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की पाई गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र प्रेषित किया जाए।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये अनुमोदित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र प्रेषित किया जाए।

4. प्रतिवेदित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जैसे उपरांत परिवीक्षक प्रमाणक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत स्वीकृति से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अनडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) बिना कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

v. Project proponent shall submit the consent letter from land owners for uses of land.

vi. Project proponent shall submit the quantity of top soil & top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit source & quantity of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

ix. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertiliser cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued

from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 की संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी तट अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण समिति के** समिति की अनुशंसा को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(i) अवलोकन हेतु भूमि स्वामियों (श्री मधुसूदन, श्री भगवानदास, श्री पुरुषोत्तम एवं श्रीमती पानाबाई बाई) के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

(ii) वर्ष 2021–22 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी सहित विभाग के प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

(iii) लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग के जारी अभ्यावेदन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने उपरांत ही टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

(iv) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के मूल भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वास आदि के लिये सुचिंतित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर पर्यावरण प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के मूल भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(iv) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

21. मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री निर्मल अग्रवाल), प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया इस्पाकोन, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का पत्री क्रमांक 2013)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 38840/2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया इस्पाकोन, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इस्पातकण फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 38,840 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,20,000 टन प्रतिवर्ष, सी–रोलिंग मशीन क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,48,000 टन प्रतिवर्ष (यू–हीट चार्जिंग क्षमता – 1,08,000 टन प्रतिवर्ष एवं यू–सी–डीडिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनिर्माण 30 कनेक्ट करनी होगी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमित कुमार अग्रवाल, सी.ई.ओ. एवं मेसर्स एनवायरो लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत के. व्यास, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक तथा श्री विकास ठाकुर, सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** –

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के क्रमांक 2180, दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया इस्पाकोन, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् सी–डिडिंग फर्नेस केज और पल्वराईजिंग मील आवश्यक सी–रोलिंग मशीन प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत पाईप्स मशीन बिलेट क्षमता – 38,840 टन प्रतिवर्ष एवं सी–रोलिंग मशीन प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष यू हीट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष यू बिलेट्स सी–डिडिंग फर्नेस केज और पल्वराईजिंग मील) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के क्रमांक 1285, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **भू-स्वामित्व** – भूमि निजी एम.आर. इन्फ्राइंजेल के नाम पर है। साथ ही फर्टेनर्स नाम की निर्माण अवधारा एवं भी दूसरा अवधारा द्वारा पर्यावरणीय क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. **जल एवं वायु सम्मति** –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा इन्फ्राइंजेल फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 8,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 38,840 टन प्रतिवर्ष, री-रोलिंग मिल क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु अधिनियम सम्मति दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा री-रोलिंग मिल क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संरक्षण सम्मति दिनांक 06/12/2021 को जारी की गई, जिसकी विस्तार क्षमता विस्तार के संचालन प्रारंभ बाद के प्रथम दिवस से 1 वर्ष (Final date of receipt of commissioning of the plant with expanded capacity) तक के लिए है।

- परिसर में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्रवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। स्थिति स्पष्ट है कि परिसर में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **संवेदनशील स्थान विवरणकर्ता संबंधी जानकारी** –

- संवेदनशील आबादी इस-इकाईज 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई नगर 2.5 कि.मी. एवं नजदीकी विमानपत्तन विमानपत्तन, माना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। सिंचाई नहरें 12 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित सेस्मोलॉजिकल क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **क्षेत्र वृक्षित भूमिका** – क्षेत्र एरिया सेटराइट की स्पष्ट प्रति संलग्न जाना आवश्यक है।

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–**

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/03/2021 के अनुसार :–

First Phase			
Product	Facility	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
MS Ingot/Billets	Induction Furnace and CCM	8,000	-
Re-rolled	New Re-rolling mill	-	38,800

steel product	connected to existing Billet Reheating Furnace		
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product		57,800
Second Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets.)	9,000	38,840
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. hot MS Billet	-	38,800
Re-rolled steel product through GPD	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

वस्तुगत कार्यक्रम उत्पाद :–

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingot/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,05,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

7. पी–एटीएस :–

Material Balance (in TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input		Output	
Sponge Iron	1,38,580	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,08,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,625	Cold billet not possible to re-rolled	38,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,597	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,800
		Slag	34,701
		Refractory Waste	175
		LOI	4,332

Total	1,88,350	Total	1,88,350
For Fuel Fired Rolling Mill			
Input		Output	
MS billet from internal and market	1,23,570	Re-rolled steel product	1,44,000
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
		Miss rolls/end cutting	3,979
Coal	17,280	Ash	1,728
		LD	15,552
Total	1,88,850	Total	1,88,850
For Pipe Fabrication Unit (in TPA)			
Input		Output	
Steel strips from sail	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	1,25,000	Total	1,25,000

a. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – बायर सिस्टम उपयोग इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर सिस्टम द्वारा कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा सोल पैलेटाइजर पी–हिटिंग फर्नेस आवश्यक रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पेट स्क्रबर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। बायर सिस्टम उपयोग इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल के पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/नारमल घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है।

6. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No	Item	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	6,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल आवश्यकता एवं स्रोत** – वर्तमान में परिचालन हेतु 51 घनमीटर प्रतिदिन (परंतु उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 43 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परिचालन हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (परंतु उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी से 80 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु की अपेक्षित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उपयोग स्थल सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) कृषक एवं पशुपालन उपयोगों को कम से कम 80 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउन्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उपयोग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। संयंत्र स्थल से दूषित उत्पादन द्वारा दूषित जल को एकत्र कर पुनः दूषित हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को एकत्र कर पुनः दूषित हेतु उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में परंतु दूषित जल के उपचार हेतु संयंत्र रैक एवं संबंधित निर्माण किया गया है। शून्य निस्सरण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उपयोग परिसर में वर्षा के पानी का कुल एरियाज 18,841 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट (प्रत्येक 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (3 मीटर लम्बाई, 2 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के कुल एरियाज को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनसे जलभर तक में वर्षा जल का संग्रहण हो सके।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परिचालन हेतु 75 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.82 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। द्वितीय चरण में शेष 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि ई.आई.ए. तैयार किये जाने हेतु वेबसाईट डाटा कलेक्शन का कार्य 21 मार्च, 2022 से 21 मई, 2022 तक किया गया। तत्पश्चात वेबसाईट डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार किया जाकर पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरण में कोरोनावायरस का प्रकोप के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंकित, 2020 में प्रकाशित मेमोरंडम टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन/एक्सटेंशन रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के पैरा नंबर 3(ए) का मेमोरंडम टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (मिक्स एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the existing and proposed layout plan with KML file.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation (for existing & proposed).

v. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit NOC from competent authority for usage of water (for after expansion quantity).

viii. Project proponent shall submit existing and proposed land area statement.

ix. Project proponent shall submit details of coal consumption in per ton of products.

x. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

xi. Project proponent shall submit the Environmental audit report.

xii. Project proponent shall submit the action plan for energy conservation.

xiii. Project proponent shall submit the details of plantation / greenbelt in the EIA report along with detailed information (Size, species, number, width etc).

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic Impact Study Report (for existing & proposed plan).

xv. Project proponent shall submit the detailed Social Impact Study Report.

xvi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xx. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO_2 emission from the plant operation, the measures undertaking in the process and by the manufacture to minimize fossil fuels. Consumption and optimize combustion. The project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consists of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operation & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with the define time frame, when project proponent comes for EC proposal these studies shall be formulated keeping in view India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/10/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नमामि का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त किया जावे। साथ ही अनुशंसित अतिरिक्त टी.ओ.आर. शर्तों के बिन्दु क्रमांक 1 के निराकरण हेतु पूर्व अभिमत अनुसार समिति प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त मामले के परिपेक्ष में परिशिष्ट उपरांत उपबुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. मध्यप्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ख) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 13/01/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 6 (ii), 8(ii), 8(iii), 9 (v), 10 (v), 10 (vii), का अपूर्ण पालन एवं शर्त क्रमांक 9 (v), का आंशिक पालन किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन को पूर्ण कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की 42वीं बैठक दिनांक 07/08/2022 को किये गये अनुशंसा के आधार पर टी.ओ.आर. जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में अनुशंसित टी.ओ.आर. के अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक (i) को विलोपित करते हुये एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन में शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन के परिपेक्ष में समीक्षा रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए की शर्तों के साथ पूर्व में निर्धारित किये गये अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन में शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये जाने का लेख है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों का पालन पूर्ण कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.के. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़